

4189
1/9/09

हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना

दिनांक अगस्त 21, 2009.

CIF (OL)
ADK
268

संख्या 11/35/2004-4 श्रम.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 112 के साथ पठित धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 11/35/2004-4 श्रम, दिनांक 16, अप्रैल 2008 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा में मुख्य दुर्घटना खतरा नियंत्रण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

ACIF

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा मुख्य दुर्घटना खतरा नियन्त्रण नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएँ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63);

"खतरनाक रसायन" से अभिप्राय है :-

- (i) कोई रसायन, जो अनुसूची I के भाग I में अधिकथित किसी मापदण्ड को पूरा करता है तथा उस अनुसूची के भाग II के खाना 2 में सूचीबद्ध है;
- (ii) अनुसूची 2 के खाना 2 में सूचीबद्ध कोई रसायन; या
- (iii) अनुसूची 3 के भाग I तथा II के खाना 2 में सूचीबद्ध कोई रसायन;

"औद्योगिक क्रियाकलाप" से अभिप्राय है, अनुसूची 4 में निर्दिष्ट कारखाने में किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई प्रक्रिया, जिसमें एक या अधिक खतरनाक रसायन शामिल है अथवा शामिल होने की सम्भावना है और इसमें स्थल पर भण्डारण या स्थल पर आवागमन शामिल है, जो उस कार्य अथवा प्रक्रिया, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बद्ध है;

(घ) "एकल भण्डारण" से अभिप्राय है, भण्डारण जहां खतरनाक रसायन की पम्पिंग के अलावा कोई अन्य विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जाती और उस भण्डारण में अनुसूची 2 में उपवर्णित उस रसायन की कम से कम मात्रा शामिल है, किन्तु इसमें उसी स्थल की अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कारखाना से सम्बद्ध भण्डारण शामिल नहीं है;

(ङ) "मुख्य दुर्घटना" से अभिप्राय है, दुर्घटना जिसमें स्थल के अन्दर अथवा स्थल के बाहर जीवन को हानि पहुंचाती हो अथवा भीतरी दस या अधिक चोटें या बाहरी एक या अधिक चोटें हों या विषैला रसायन निकला हो या विस्फोट या अग्नि या खतरनाक रसायन फैला

LABOUR EMPLOYMENT RECEIPT	Examine process and put up	
	Acknowledge the receipt if required	
	Labour Commissioner, Haryana	
	ACIF	
	ADO	
	Law Officer	
DSLE		
NO.	DATE	

0/2
27/8/09

119

20(R)

हो जिसके परिणामस्वरूप 'स्थल पर' या 'स्थल से दूर' संकट या प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रमुख उपस्कर को क्षति उत्पन्न हुई हो अथवा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(च) "पाइपलाइन" से अभिप्राय है, पाइप (इसके साथ-साथ कोई उपस्कर या उससे सम्बद्ध कार्य), या पाइप प्रणाली (इसके साथ-साथ कोई उपस्कर या उससे सम्बद्ध कार्य), अनुसूची 3 के भाग II के खाना 2 में उपवर्णित ज्वलनशील गैस, जो कुल 8 बार के दबाव से कम है, को छोड़कर खतरनाक रसायन के आने जाने के लिए है;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा।

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में दिया गया है।

3. (1) ये नियम औद्योगिक गतिविधि अथवा एकल भण्डारण, जिनमें खतरनाक रसायन जो अनुसूची I के भाग I में अधिकथित अथवा इस अनुसूची के भाग II के खाना 2 में सूचीबद्ध किसी भी मापदण्ड को पूर्ण करता है, सम्मिलित है अथवा हो सकता है, पर लागू होंगे।

(2) औद्योगिक गतिविधि अथवा एकल भण्डारण का अधिभोगी इस नियम के उप-नियम (1) की शर्तों के अनुसार अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा डाटा शीट के प्ररूप में सूचना प्राप्त अथवा विकसित करने का प्रबन्ध करेगा। अनुरोध करने पर सूचना सन्दर्भ हेतु कामगारों को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(3) अधिभोगी उस द्वारा व्यवस्थित खतरनाक रसायन के बारे में अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा डाटा शीट प्राप्त अथवा विकसित करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना सही रूप से अभिलिखित की जाती है तथा जोखिम निर्धारण करने में प्रयुक्त वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाती है। यदि, रसायन के जोखिम के बारे में कोई महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध है, तो उसे यथा साध्य शीघ्रता से अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा डाटा शीट में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) खतरनाक रसायन के प्रत्येक आधान के बाहर पहचान हेतु स्पष्ट रूप से लेबल लगाया जाएगा अथवा चिह्नित किया जायेगा:-

(क) आधान में डाली गई अन्तर्वस्तु;

(ख) खतरनाक रसायन के निर्माता अथवा कर्ता का नाम तथा पता; तथा

(ग) खतरनाक रसायन का भौतिक, रसायनिक तथा विष वैज्ञानिक सम्बन्धी आंकड़ें।

(5) जहां पर आधान के आकार अथवा पैकिंग की प्रकृति के दृष्टिगत उप नियम (4) की शर्तों के अनुसार रसायन पर लेबल लगाना अव्यावहारिक है, दस्तावेज नत्थी करने अथवा साथ लगाने जैसे अन्य प्रभावी उपायों की व्यवस्था करेगा।

निरीक्षक की
शक्तियां।

धारा 8

तथा 9

4 निरीक्षण -

- (क) एक कैलेण्डर वर्ष में कम-से-कम एक बार औद्योगिक गतिविधि अथवा एकल भण्डारण का निरीक्षण करेगा;
- (ख) कारखाना परामर्शी सेवा महानिदेशालय तथा श्रम संस्थान तथा श्रम मन्त्रालय, के माध्यम से पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, भारत सरकार को अधिभोगियों द्वारा नियमों की पालना पर स्थिति रिपोर्ट भेजेगा; तथा
- (ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाली औद्योगिक गतिविधियों अथवा एकल भण्डारण के सम्बन्ध में तथा कारखाना की परिधि से बाहर 500 मीटर की दूरी तक पाइप लाइन के सम्बन्ध में;
- (i) नियम 6(1) तथा 6(2) के अनुसार बड़ी दुर्घटनाओं की अधिसूचना;
- (ii) नियम 8 तथा 9 के अनुसार स्थलों की अधिसूचना;
- (iii) नियम 10 तथा 11 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्ट तथा सुरक्षा संपरीक्षा;
- (iv) जिला कलेक्टर या जिला आपातकालीन प्राधिकारी से परामर्श करके नियम 13 के अनुसार स्थल पर तथा स्थल से परे आपातकालीन योजना तैयार करने में सम्मिलित होने के बारे में दिशा निर्देशन तथा प्रक्रिया को लागू करेगा।

अधिभोगी के
सामान्य कर्तव्य।
धारा 7 क

5. (1) ये नियम-

- (क) औद्योगिक गतिविधि जिसमें अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकथित अथवा उक्त अनुसूची के भाग II के खाना 2 में सूचीबद्ध किसी मापदण्ड को पूर्ण करने वाले खतरनाक रसायन सम्मिलित हैं अथवा हो सकते हैं; तथा
- (ख) एकल भण्डारण जिसमें अनुसूची 2 के खाना 2 में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों की मात्रा सम्मिलित है, जो उस अनुसूची या उसमें खाना 3 में उस रसायन हेतु विनिर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा के समान अथवा अधिक है।

(2) उप नियम (1) की शर्तों के अनुसार मांगे जाने पर अधिभोगी यह दर्शाते हुए यह सूचना उपलब्ध करवायेगा कि उसने-

- (क) बड़ी दुर्घटना खतरों की पहचान कर ली है; तथा
- (ख) (i) ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने तथा व्यक्तियों तथा पर्यावरण पर होने वाले उनके परिणामों को सीमित करने; तथा

- (ii) स्थल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सूचना, प्रशिक्षण तथा विषनाशकों सहित उपस्कर उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त कदम उठा लिये हैं।

बड़ी दुर्घटनाओं की
अधिसूचना।
धारा 88 तथा
88 क

6. (1) जहां स्थल पर अथवा पाइप लाइन में बड़ी दुर्घटना होती है, तो अधिभोगी 48 घण्टे के भीतर उस दुर्घटना की सूचना निरीक्षक तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक को देगा, तथा तत्पश्चात् उस दुर्घटना से सम्बन्धित रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो, अनुसूची 6 में किस्तों में निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।

(2) इन नियमों के उप-नियम (1) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक बड़ी दुर्घटना का पूर्ण विश्लेषण करेगा तथा अपेक्षित सूचना कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय तथा श्रम संस्थान तथा श्रम मन्त्रालय के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।

(3) अधिभोगी स्थल पर ऐसी दुर्घटना की किसी प्रकार की पुनरावृत्ति टालने हेतु उठाये गये कदमों की सूचना निरीक्षक को देगा।

(4) निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक बड़ी दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना संकलित करेगा तथा उसकी एक प्रति कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय तथा श्रम संस्थान तथा श्रम मन्त्रालय के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करवायेगा।

(5) निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक किसी भी कमी, जिसे उसकी राय में बड़ी दुर्घटना टालने हेतु ठीक किया जाना आवश्यक हो, के बारे में लिखित रूप में अधिभोगी को सूचित करेगा।

औद्योगिक
गतिविधि
अथवा एकल
भण्डारण जिस
पर नियम 8
से 14 लागू
होते हैं।
धारा 41 ख

7. नियम 8 से 14 निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) औद्योगिक गतिविधि जिसमें वे उस खतरनाक रसायन की मात्रा शामिल हो जो अनुसूची 3 के भाग I तथा II के खाना 2 में सूचीबद्ध हैं तथा उसकी मात्रा उस रसायन हेतु खाना 3 और 4 के इन्दराज में विनिर्दिष्ट मात्रा के समान अथवा अधिक है (खाना 4 के लिए केवल नियम 10-12) ; तथा

(ख) एकल भण्डारण जिसमें उस खतरनाक रसायन की मात्रा शामिल हो जो अनुसूची 2 के खाना 2 में सूचीबद्ध है तथा उसकी मात्रा उस रसायन हेतु खाना 3 और 4 (नियम 10 - 12 केवल खाना 4 के लिए) के इन्दराज में विनिर्दिष्ट मात्रा के समान अथवा अधिक है (केवल खाना 4 के लिए नियम 10 - 12);

स्थल की
अधिसूचना।
धारा 41 ख

8. (1) अधिभोगी कोई औद्योगिक गतिविधि अथवा एकल भण्डारण तब तक आरम्भ नहीं करेगा जब तक कि उसने अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट विवरणों का उल्लेख करते हुए वह गतिविधि आरम्भ करने से पूर्व कम से कम 90 दिन अथवा ऐसा कम समय जिससे मुख्य निरीक्षक सहमत हो, से पहले मुख्य निरीक्षक

को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दी हो तथा गतिविधि जिसमें बाद में अनुसूची 2 तथा 3 के खाना 3 में दी गई अतिरिक्त खतरनाक रसायन की न्यूनतम अथवा अधिक मात्रा हो अथवा हो सकती हो, इस उप नियम के प्रयोजन हेतु एक भिन्न गतिविधि के रूप में समझी जायेगी तथा तदानुसार अधिसूचित की जायेगी।

(2) इस नियम के उप नियम (1) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक उसकी जांच करेगा तथा रिपोर्ट की जांच करने पर यदि उसकी राय है कि अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह उनकी अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी कर सकता है।

स्थल
अधिसूचना को
अद्यतन
करना।
धारा 41 ख

9. जहां नियम 8 (1) के अनुसार कोई गतिविधि सूचित की जाती है तथा यदि अधिभोगी इसमें कोई परिवर्तन (जिसमें स्थल पर अथवा पाइप लाइन में अथवा गतिविधि की समाप्ति पर खतरनाक रसायन, जिस पर यह नियम लागू होता है, की अधिकतम मात्रा में वृद्धि अथवा कमी हो अथवा हो सकती हो, शामिल है) करता है, जो इस नियम के अधीन दी गई उस रिपोर्ट अथवा किसी अनुवर्ती रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट विवरण प्रभावित करे, तो अधिभोगी इस बारे में आगामी रिपोर्ट तत्काल निरीक्षक अथवा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

सुरक्षा
रिपोर्ट तथा
सुरक्षा
सम्बन्धी
संपरीक्षा
रिपोर्ट।
धारा 41 ख

10. (1) इस नियम के उप-नियमों (2) तथा (3) के अध्याधीन कोई स्वामी कोई ऐसी औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण प्रारंभ नहीं करेगा जिस पर यह नियम लागू होता है, जब तक कि उसने अनुसूची 8 में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार उस पर औद्योगिक गतिविधि के सम्बन्ध में सुरक्षा रिपोर्ट तैयार न की हो तथा उसने उस गतिविधि को प्रारम्भ करने से कम से कम 90 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को उस रिपोर्ट की प्रति न भेज दी हो।

(2) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् नई तथा वर्तमान औद्योगिक गतिविधियों, एकल भण्डारण दोनों के अधिभोगी, इस सम्बन्ध में कारखाना परामर्शी सेवा तथा महानिदेशालय, श्रम संस्थान, मुम्बई इस निमित्त अनुमोदित/सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा सुरक्षा संपरीक्षा करवाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसी संपरीक्षा निम्नानुसार की जाएगी:-

- (क) सयंत्र के उपयुक्त कर्मिकों के एक दल द्वारा वर्ष में एक बार आन्तरिक तौर पर;
- (ख) इस निमित्त प्रत्यायित किसी सक्षम अभिकरण द्वारा दो वर्ष में एक बार बाह्य तौर पर;
- (ग) जिस वर्ष में बाह्य संपरीक्षा करवाई जाती है, उस वर्ष में आन्तरिक संपरीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं।

(3) संपरीक्षा के मुकम्मल होने के तीस दिन के भीतर अधिभोगी संपरीक्षा सिफारिश की कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा।

सुरक्षा रिपोर्टों को अद्यतन करना।
धारा 41 ख

11. (1) यदि किसी अधिभोगी ने नियम 10 के उप-नियम (1) के अनुसार सुरक्षा रिपोर्ट की है, तो वह उस औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण जिसका सम्बन्ध उस रिपोर्ट तथा जिसका व्यावहारिक तौर पर उस रिपोर्ट पर विशेष प्रभाव हो सकता था, में तब तक कोई रूपान्तरण नहीं करेगा जब तक कि उसने उन रूपांतरणों के बारे अगली रिपोर्ट न की हो और उन रूपांतरणों को करने से कम से कम 90 दिन पूर्व निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को उस रिपोर्ट की प्रति न भेजी हो।

(2) यदि किसी अधिभोगी ने नियम 10 के उप-नियम (1) के अनुसार रिपोर्ट की है और वह औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण जारी रखता है, तो ऐसा अधिभोगी ऐसी अन्तिम रिपोर्ट की तिथि के तीन वर्ष के भीतर अगली रिपोर्ट भेजेगा, जो विशेष रूप से नयी तकनीकी जानकारी से सम्बन्धित होगी, जो सुरक्षा तथा खतरनाक निर्धारण से सम्बन्धित पिछली रिपोर्ट के विवरण पर प्रभाव पड़ा है, और 30 दिन के भीतर अथवा मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से जितने समय की सहमति दी गई हो, रिपोर्ट की प्रति निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।

निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को भेजी जाने वाली आगामी सूचना की आवश्यकता।
धारा 41 ख

12. जहाँ नियम 10 और 11 के अनुसार अधिभोगी ने औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण से सम्बन्धित सुरक्षा रिपोर्ट और सुरक्षा संपरीक्षा निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को भेज दी हो, तो निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक अधिभोगी को नोटिस भेज कर नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त सूचना भेजने की उससे मांग कर सकते हैं और अधिभोगी 90 दिन के भीतर निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को वह सूचना भेजेगा।

अधिभोगी द्वारा स्थल आपात योजना का तैयार करना।
धारा 41 ख

13. (1) अधिभोगी एक स्थल आपात योजना तैयार करेगा, उसे अद्यतन करेगा और निरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक को भेजेगा इस योजना में अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट ब्यौरा और औद्योगिक गतिविधि अथवा एकल भण्डारण स्थल पर मुख्य दुर्घटनाओं से कैसे निपटा जाएगा, का विवरण और उस व्यक्ति का नाम शामिल होगा, जो स्थल पर सुरक्षा हेतु जिम्मेवार हैं और उन व्यक्तियों के नाम भी शामिल होंगे जो आपात के मामले में योजना के अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) अधिभोगी स्वामी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस नियम के उप नियम (1) के अनुसार बनाई गई आपात योजना में औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण में किये गये रूपान्तरण को ध्यान में रखा गया है और स्थल पर कार्य करने वाले इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को सम्बद्ध व्यवस्था के बारे सूचित कर दिया गया है।

(3) अधिभोगी इस नियम के उप नियम (1) के अधीन अपेक्षित आपात योजना तैयार करेगा:-

(क) औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण आरम्भ होने से पहले;

(ख) वर्तमान औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण के मामले में इन नियमों के लागू होने के 90 दिन के भीतर।

(4) अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल आपात के नकली अभ्यास को प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार काम में लाया जाता है।

(5) उप-नियम (4) के अधीन संचालित नकली अभ्यास की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक को उपलब्ध करवाई जायेगी।

मुख्य दुर्घटना द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सूचना।
धारा 41 ख

14. (1) अधिभोगी स्थल से बाहर के क्षेत्र के उन व्यक्तियों को निम्नलिखित बारे सूचित करने के उपयुक्त उपाय करेगा जिनके उन क्षेत्रों में होने की सम्भावना है, जहां मुख्य दुर्घटना का प्रभाव पड़ सकता है:-

(क) मुख्य दुर्घटना के खतरे की किस्म; और

(ख) सुरक्षा उपाय तथा "कीजिए" तथा "मत कीजिए" जो मुख्य दुर्घटना की घटना में अपनाये जाने चाहिए।

(2) अधिभोगी औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण शुरू करने से पूर्व व्यक्तियों को सूचित करने हेतु इस नियम को उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित उपाय करेगा, इसके अतिरिक्त वर्तमान औद्योगिक गतिविधि या एकल भण्डारण के सम्बन्ध में स्वामी इन नियमों को लागू होने के 90 दिन के भीतर इस नियम के उपनियम (1) की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

सूचना का प्रकटीकरण।
धारा 41 ख

15. जहां नियम 6 या नियम 8 से 14 के अधीन अधिसूचित सूचना का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक अथवा मुख्य निरीक्षक वह सूचना किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो वह दूसरा व्यक्ति निरीक्षक अथवा मुख्य निरीक्षक के सूचना देने के प्रयोजन को छोड़ कर, जैसी भी स्थिति हो, उस सूचना को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लायेगा और उस सूचना के बारे बताने से पहले निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के अधीन उस अन्य व्यक्ति को उसकी बाध्यताओं के बारे सूचित करेगा।

अनुसूचियों में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की शक्ति।
धारा 112

16. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों में किसी भी समय उपयुक्त परिवर्तन कर सकती है।

अनुसूची 1

{देखिए नियम 2 (क) (i), 3 (1) तथा 5 (1) (क)}

भाग-I

(क) जहरीले रसायन:-

तीक्ष्ण विषाक्तता के निम्नलिखित मूल्य वाले रसायन और जिनमें अपने भौतिक तथा रसायनिक गुणों के कारण मुख्य दुर्घटना का कारण बनते हैं :

क्रम संख्या	विषाक्तता	मौखिक विषाक्तता एल०डी०50 (मिलीग्राम/किलो ग्राम)	त्वचीय विषाक्तता एल०डी०50 (मिली ग्राम/ ग्राम)	अन्तः श्वसन विषाक्तता एल०सी० 50 (मिलीग्राम/लीटर)
1	अत्यधिक विषैला	> 5	< 40	< 0.5
2	अधिक विषैला	> 5-50	> 40-200	< 0.5-2.0
3	विषैला	> 50-200	> 200-1000	< 2-10

(ख) ज्वलनशील रसायन

(i) **ज्वलनशील गैसें:** ऐसी गैसें, जो 20° तथा 101.3 किलो पास्कल के सामान्य दबाव पर:-

(क) हवा के आयतन में 13 प्रतिशत या इससे कम के मिश्रण में दहनीय हों; और

(ख) जिनकी हवा के साथ प्रज्वलनशीलता की श्रेणी निम्नतर प्रज्वलनशीलता सीमा से कम से कम 12 प्रतिशत निरपेक्ष बिन्दु पर हो,

टिप्पण: यह प्रज्वलनशीलता अंतराष्ट्रीय मानक संघ आई एस आई संख्या 10156/1990 अथवा भारतीय मानक ब्यूरो आई एस आई संख्या 1446/1985 द्वारा अपनाये गई रीति अनुसार परीक्षण द्वारा या गणना द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ii) **अत्यधिक ज्वलनशील तरल:** रसायन जिनका ज्वलनांक 23 डिग्री सै० से कम अथवा बराबर है तथा क्वथनांक अंक 35 डिग्री सै० से कम हो।

(iii) **बहुत अधिक ज्वलनशील तरल:** रसायन जिनका ज्वलनांक 23 डिग्री सै० से कम अथवा बराबर है तथा आरम्भिक क्वथनांक 35 डिग्री सै० से अधिक हो।

(iv) **अधिक ज्वलनशील तरल:** रसायन जिनका ज्वलनांक 60 डिग्री सै० से कम अथवा बराबर है, परन्तु 23 डिग्री सै० से अधिक है।

- (v) **ज्वलनशील तरल:** रसायन जिनका ज्वलनांक 60 डिग्री सै० से अधिक है और 90 डिग्री सै० से कम है।

(ग) **विस्फोटक:**

विस्फोटक से अभिप्राय ठोस अथवा तरल अथवा पायरोटेक्नीक पदार्थ (अथवा पदार्थों का मिश्रण) अथवा ऐसी वस्तु जो—

- (क) स्वयं रसायनिक क्रिया से ऐसे तापक्रम तथा दबाव पर तथा इतनी गति से गैस पैदा करने में सक्षम हो जो वातावरण के लिए हानिप्रद हो।
- (ख) ऐसे रसायन जो नोनडेटोनेटिव स्वयं बाह्यउष्ण रसायनिक क्रिया के परिणामस्वरूप उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गैस, अथवा धुआं अथवा इन सबका संयोजक उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया।

भाग-II

क्रम संख्या खतरनाक रसायनों की सूची

1	2
1.	एसिटलडिहाईड
2.	ऐसीटिक एसिड
3.	ऐसीटिक एनहाईड्राईड
4.	ऐसीटोन
5.	ऐसीटोन सियानोहाईड्रीन
6.	ऐसीटोन थायोसेमिकार्वेज़ाईड
7.	ऐसीटोनाईट्राईल
8.	ऐसीटीलीन
9.	ऐसीटीलीन टेट्रा क्लोराईड
10.	ऐक्रूलीन
11.	ऐक्रेलेमाईड
12.	ऐक्रेलोनाईट्राईल
13.	ऐडीपोनीट्राईल
14.	ऐलडीकार्ब
15.	ऐलड्रीन

16. ऐलील ऐल्कोहल
17. ऐलील अमाईन
18. ऐलील क्लोराईड
19. ऐल्यूमीनियम (पाउडर)
20. ऐल्यूमीनियम अज़ाईड
21. ऐल्यूमीनियम बोरोहाईड्राईड
22. ऐल्यूमीनियम क्लोराईड
23. ऐल्यूमीनियम फ्लोराईड
24. ऐल्यूमीनियम फोसफाईड
25. अमीनो डीफिनाईल
26. अमीनो पाईराईडीन
27. अमीनोफीनोल-2
28. अमीनोपटरीन
29. अमीटोन
30. अमीटोन डाईलेट
31. अमोनिया
32. अमोनियम क्लोरो प्लेटीनेट
33. अमोनियो नाईट्रेट
34. अमोनियम नाईट्राईट
35. अमोनियम पाईक्रेट
36. ऐनेबेसाईन
37. ऐनिलाईन
38. ऐनिलाईन 2, 4, 6,-ट्राईमिथाईल
39. ऐनथ्राक्यूनोन
40. ऐन्टीमोनी पेन्टाफ्लोराईड
41. ऐन्टीमाईसिन ए
42. ऐ एन टी यू
43. अरसैनिक पैन्टोकसाईड
44. अरसैनिक ट्राईऑक्साईड

45. अरसैनस ट्राईक्लोराईड
46. अरसाईन
47. असफाल्ट
48. अजीन्फो-इथाईल
49. अजीन्फोस मिथाईल
50. बेसीट्रेसिन
51. बेरीयम एजाईड
52. बेरीयम नाईट्रेट
53. बेरीयम नाईट्राईड
54. बेन्ज़ल क्लोराईड
55. बेनज़ीनअमाईन, 3-ट्राईफ्लोरोमिथाईल
56. बेनज़ीन
57. बेनज़ीन सल्फोनाईन क्लोराईड
58. बेनज़ीन, 1-(क्लोरोमिथाईल) -4-नाईट्रो
59. बेनज़ीन अरसैनिक ऐसिड
60. बेनज़ीडाईन
61. बेनज़ीडाईन साल्टस
62. बेनज़ीमाईडेज़ोल, 4, 5-डाईक्लोरो-2 (ट्राईफ्लोरोमिथाईल)
63. बेनज़ोकिनोन-पी
64. बेनज़ोट्राईक्लोराईड
65. बेनज़ोइल क्लोराईड
66. बेनज़ोइल पैरोक्सैड
67. बेनज़ील क्लोराईड
68. बेरेलियम (पाउडर)
69. बाईसाईक्लो (2,2,1) हेप्टेन-2-कार्बोनाईट्राईल
70. बिपहेनाईल
71. बिस (2-क्लोरोइथाईल) सल्फाईड
72. बिस (क्लोरोमिथाईल) किटोन
73. बिस (टस्ट-बुटाईलपैरोक्सी) साईक्लोहेक्सेन

74. बिस (टरट-बुटाईलपैरोक्सी) ब्यूटेन
75. बिस (2,4,6 ट्रिमिट्राफीनाइलेमिल)
76. बिस (क्लोरोमिथाईल) ईथर
77. बिसमुथ एण्ड कम्पाउंडस
78. बिसफीनोल-ए
79. बिटोसकोनेट
80. बोरोन पाउडर
81. बोरोन ट्रीक्लोराईड
82. बोरोन ट्रीफ्लोराईड
83. बोरोन ट्रीफ्लोराईड कम्पाउंडस विद मिथलेदर, 1:1
84. ब्रोमाईन
85. ब्रोमाईन पैन्टाफ्लोराईड
86. ब्रोमो क्लोरो मिथेन
87. ब्रोमोडियालोन
88. ब्यूटाडीन
89. ब्यूटेन
90. ब्यूटानन-2
91. ब्यूटाईल अमाईन ट्रट
92. ब्यूटाईल गलीसीटल ईथर
93. ब्यूटाईल इसोवलरेट
94. ब्यूटाईल पैरोक्सीमेलीट ट्रट
95. ब्यूटाईल विनाईल ईथर
96. ब्यूटाईल-एन-मरकैप्टेन
97. सी आई बेसिक ग्रीन
98. केडमियम ऑक्साईड
99. केडमियम स्टीरेट
100. कैल्सियम अरसीनेट
101. कैल्सियम कार्बाईड
102. कैल्सियम साइनाईड

103. कैम्पहैक्लर (टौक्साफीन)
104. केन्थ्राडीन
105. केप्टेन
106. कार्बाकोल क्लोराईड
107. केबरील
108. कार्बोफ्रेन (फयूराडन)
109. कार्बन ट्रेटाक्लोराईड
110. कार्बन डाईसल्फाईड
111. कार्बन मोनोऑक्साईड
112. कार्बोफिनोथियोन
113. कार्वोन
114. सैलीलोस नाईट्रेट
115. क्लोरोऐसिटिक एसिड
116. क्लोरडेन
117. क्लोरोफेनविनफोस
118. क्लोरिनेटिड बेन्जीन
119. क्लोराईन
120. क्लोराईन ऑक्साईड
121. क्लोराईन ट्राईफ्लोराईड
122. क्लोरमिफोस
123. क्लोरमिक्वेट क्लोराईड
124. क्लोरोऐसिटेलक्लोराईड
125. क्लोरोऐसिटेडीहाईड
126. क्लोरोनिलाईन-2
127. क्लोरोनिलाईन-4
128. क्लोरोबेनजीन
129. क्लोरोइथाईल क्लोरोफोरमेट
130. क्लोरोफॉम
131. क्लोरोफोरमिल मोरफोलाईन

132. क्लोरोमिथेन
133. क्लोरोमिथाईल मिथाईलईदर
134. क्लोरोक्लोरोमट्रोबेनज़ीन
135. क्लोरोफेसाईनोन
136. क्लोरोसल्फोनिक
137. क्लोरोथायोफोस
138. क्लोरोजूरोम
139. क्रोमिक एसिड
140. क्रोमिक क्लोराईड
141. क्रोमियम पाउडर
142. कोबाल्ट काबोनिल
143. कोबाल्ट नाइट्रीलमिथिडीलीन कम्पाउंड
144. कोबाल्ट (पाउडर)
145. कोल्कीईसाईन
146. कॉपर एंड कम्पाउंड
147. कॉपरऑक्सीक्लोराईड
148. कोमाफूरील
149. कोमाफोस
150. कोमाटरट्रैलिल
151. क्रीमीडाईन
152. क्रोटीनेलीडीहाईड
153. क्रोटानिलडीहाईड
154. क्यूमिन
155. साईनोजन ब्रोमाईड
156. साईनोजन आयोडाईड
157. साईनोफोस
158. साईनोथोपेट
159. साईनोरिक फ्लोराईड
160. साईक्लोहेक्सीमानाईन

161. साईक्लोहेक्सेन
162. साईक्लोहेक्सेनोन
163. साईक्लोहेक्सीमाईड
164. साईक्लोपेन्टेडाईन
165. साईक्लोपेन्टेन
166. साइकलोटैट्रोमिथाई लैन्टीट्रेनीट्रामाइन
167. साइकलोट्रीमिथाईलिन ट्रिनोट्रानाईन
168. साईपरमिथ्रिन
169. डी डी टी
170. डीकाबोरेन (1:4)
171. डेमीटन
172. डेमीटन एस-मिथाईल
173. डाई एन प्रोपाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट (कोन ≥ 80 प्रतिशत)
174. डाईलफोस
175. डायजोडीनाइट्रोफिनोल
176. डाईबैनजाईल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट (कोन ≥ 90 प्रतिशत)
177. डाईब्रेन
178. डाईक्लोरोएसिटिलीन
179. डाइक्लोरोबैनजेलकोनियम क्लोराईड
180. डाईक्लोरोइथाईल इथर
181. डाईक्लोरोमिथाईल फिनाईलसिलेन
182. डाईक्लोरोफिनोल-2.6
183. डाईक्लोरोफिनोल-2.4
184. डाईक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड
185. डाईक्लोरोपेन-2.2
186. डाईक्लोरोसेल्साईलिक एसिड-3.5
187. डिक्लोरवोस (डी डी वी पी)
188. डिक्लोरोफोस
189. डाइलड्रीन

190. डाईपौक्सी ब्यूटेन
191. डाईथाइल कार्बामाज़ाईन साईट्रेट
192. डाइथाइल क्लोरोफोसफेट
193. डाइथाइल इथेनोलेमाईन
194. डाइथाइल पेरॉक्सीडाइकार्बोनेट (कोन=30 प्रतिशत)
195. डाइथाइल फिनाइल डिमाइन
196. डाइथाइलामाइन
197. डाइथाईलैनी ग्लाइकोल
198. डाइथाईलैनी ग्लाइकोल डीनाईट्रेट
199. डाइथाईलैनी ट्रीमाइन
200. डाइथाईलैनीग्लाइकोल बुटाइल इथर
201. डाईग्लासिडाईल इथर
202. डिगीटोक्सिन
203. डाइथाइड्रौपैरोक्सीप्रोपेन (कोन=30 प्रतिशत)
204. डाईइसोबुटाईल पैरोक्साइड
205. डाइमाफोक्स
206. डाइमथोट
207. डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन
208. डाइमिथाइल हाइड्राज़ाईन
209. डाइमिथाइल नाइट्रोसेमिन
210. डाइमिथाइल फिनाइल डिमाइन
211. डाइमिथाइल फौसफोरैमीडी सनाइडिक एसिड (टी ए बी यू एम)
212. डाइमिथाइल फौसफोरक्लोराइडोथाईओट
213. डाइमिथाइल सूफोलोन (डी एम एस)
214. डाइमिथाइल सल्फाइड
215. डाइमिथाइलमाइन
216. डीमिथाइलएमाइन
217. डाइमथलअरबोनीक्लोराइड
218. डाइमिटीलीन

219. डीनीट्रो ओ-क्रीसल
220. डीनीट्रोएरफिनोल
221. डीनीट्रोडूल्बूएन
222. डीनोसैब
223. डीनोट्रब
224. डायोएक्सेन-पी
225. डायोसेक्थियन
226. डायोक्साइन एन
227. डिफासीनन
228. डाइफोनफोरामाइड ऑटामिथाइल
229. डिफिनाईल मिथेन डार्ड-आइसोसाइनेट (एम डी आई)
230. डाइप्रोपीलिन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर
231. डाइप्रोपीलिन ग्लाइकोलमिथाईलैथर
232. डिसेस-ब्यूटाइल प्रोक्सीडार्डकार्बोनेट (कोन>80 प्रतिशत)
233. डिस्फोटन
234. डिथियाजमाइन आयोडाइड
235. डिथियोब्यूरेट
236. एनटोसल्फैन
237. एनटोथियन
238. एनड्रीन
239. एपीक्नोरोहाइड्रिन
240. ईपीएन
241. एरगोकेलसीफीरोल
242. एरगोटमाइन ट्रटेट
243. इथेनसलफिलाइल क्लोराइड, 2 क्लोरो
244. इथेनोल 1-2 डाइक्लोरासीटेट
245. इथीयोन
246. इथोप्रोफोस
247. इथाईल एसीटेट

248. इथाईल एल्कोहल
249. इथाईल बैनजीन
250. इथाईल बिस एमाइन
251. इथाईल ब्रोमाइड
252. इथाईल कार्बोमेट
253. इथाईल इदर
254. इथाईल हैक्सानोल-2
255. इथाईल मरकैप्टन
256. इथाईल मरक्यूरिक फोसफेट
257. इथाईल मिथाक्राइलेट
258. इथाईल नाइट्रेट
259. इथाईल थाइसाइनेट
260. इथाईलामाईन
261. इथीलीन
262. इथीलीन क्लोरोहाईड्रीन
263. इथीलीन डाईब्रोमाइड
264. इथीलीन डाईमाइन
265. इथीलीन डाईमाइन हाइड्रोक्लोराइड
266. इथीलीन फ्लोरोहाइड्रीन
267. इथीलीन ग्लाइकोल
268. इथीलीन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट
269. इथीलीन ऑक्साइड
270. इथीलीनीमाइन
271. इथीलीन डाईक्लोराइड
272. फैमामीफोस
273. फैमीट्रोथियोन
274. फैनसल्फोथियोन
275. फल्यूमैटिल
276. फलोरीन

277. फल्यूओरी-हाइड्रोक्सी ब्यूट्राइक एसिड अमाइड साल्टस एंड एस्टर
278. फल्यूओरोएमिटामाईड
279. फल्यूओरैसिटिक एसिड एमाइण्ड साल्टस एण्ड एस्टर्स
280. फल्यूओरोऐसीटिल क्लोराइड
281. फल्यूओरोबूटिरिक एसिड अमाइड साल्ट एस्टर्स
282. फल्यूओरोबूटिरिक एसिड अमाइडस साल्टस एस्टर्स
283. फलयूओरोयूरेसिल
284. फोनोफोस
285. फोरमेलडीहाईड
286. फोरमेटरनेट हाइड्रोक्लोराइड
287. फोरमिक एसिड
288. फोरमोपारानेट
289. फोरमोथियोन
290. फोसथियोटन
291. फयूबेरिडाजोल
292. फयूरेन
293. गैलीयम ट्रीक्लोराइड
294. ग्लाइकोनीट्राइल (हाइड्राक्सरएसीटोनाइड)
295. गुआनिल 1-4 नाइट्रोसैमीनोगूआइल-1-टीट्राजिन
296. हैप्टाक्लोर
297. हैक्सामिथाईल-ट्रटा-ऑक्सीऐसीक्लोनोपेट (कोन 75 प्रतिशत)
298. हैक्साक्लोरोडाइबैन्जीन
299. हैक्साक्लोरोसाइक्लोहैक्सान (लीनडेन)
300. हैक्साक्लोरो साइक्लोपैन्टाडाइनस
301. हैक्साक्लोरोडाइबैन्जो-पी-डायोक्सीन
302. हैक्साक्लोरोनेपथालीन
303. हेक्साफल्यूइरोप्रोपीन सैसक्यूहाइड्रेट
304. हैक्सामिथाईल फोसफोरामाइड
305. हैक्सामिथाइलैन डियामाइन एन एन डिबूटिल

306. हेक्सेन
307. हैक्सानाइट्रोस्टलीबेन - 2, 2, 4, 4, 6, 6
308. हेक्सीन
309. हाइड्रोजन सेलीनाइड
310. हाइड्रोजन सल्फाइड
311. हाइड्राजिन
312. हाइड्राजिन नाइट्रेट
313. हाइड्रोक्लोरिक एसिड (गैस)
314. हाइड्रोजन
315. हाइड्रोजन ब्रोमाइड
316. हाइड्रोजन सायनाइड
317. हाइड्रोजन फ्लोराइड
318. हाइड्रोजन पैरोक्साइड
319. हाइड्रोक्वीनोनो
320. इनडीन
321. इनडीयम पाउडर
322. इनडोमैथासीन
323. आयोडीन
324. इरीडियम टेट्राक्लोराइड
325. आयरनपैन्टाकार्बोनाइल
326. आइसोबैनजैन
327. आइसोअमाइल एल्कोहल
328. आइसोब्यूटाइल एल्कोहल
329. आइसोब्यूटरो नाइट्राइल
330. आइसोसाइनिक 3, 4-डिक्लोरोफिनाइल एस्टर
331. आइसोड्रिन
332. आइसोफलोरोफोसफेट
333. आइसोफोरॉन डिसोसाइनेट
334. आइसोप्रोफी एल्कोहल

335. आइसोप्रोपाइल क्लोरोकार्बोनेट
 336. आइसोप्रोपाइल फोरमेट
 337. आइसोप्रोफी मिथाइल पराजोलाइल डाइमिथाइल कार्बमेट
 338. जुगलोन (5-हाईड्रोक्सी नापथालीन-1, 4 डाइवन)
 339. कीटीन
 340. लैक्टोनाइड्राइल
 341. लीड अरसीनाईट
 342. लीड एट हाई टेम्प (मोलटेन)
 343. लीड एज़ाइड
 344. लीड स्टाइफनेट
 345. लैप्टोफोस
 346. लैनीसाइट
 347. लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस
 348. लिथियम हाईड्राइड
 349. एन-डीनट्रोबैनज़ीन
 350. मैग्नीशियम पाउडर और रिबोन
 351. मालाथियन
 352. मैलिक एनहाईड्राइड
 353. मालोनोनीट्राईल
 354. मैग्नीज ट्रीकोर्बोनिल साईक्लोपैनराडियनम
 355. मैक्लर इथामाइन
 356. मीफोसफोलेन
 357. मरक्यूरिक क्लोराइड
 358. मरक्यूरिक ऑक्साइड
 359. मरकरी ऐसीटेट
 360. मरकरी फयूलमीनेट
 361. मरकरी मिथाइल क्लोराइड
 362. मैसीटाइलीन
 363. मिथाक्रोलीन डाइऐसीटेट

364. मिथाक्राइलिक एनीडाइड
365. मिथाक्राइलोनीट्राइल
366. मिथाक्राइलोल ऑक्सीइथाइल आइसोसाइनेट
367. मैथानीडोफोस
368. मीथेन
369. मीथेनसल्फोनाइल फ्लोराइड
370. मैथीडेथीयन
371. मैथीओकार्ब
372. मैथोनाइल
373. मैथोक्सी इथानोल (2-मिथाइल सैलोसाल्व)
374. मैथोक्सीकथाइल मरकरिक ऐसीटेट
375. मिथाक्राइलोल क्लोराइड
376. मिथाइल 2-क्लोराक्राइलेट
377. मिथाइल एल्कोहल
378. मिथाइल अमाइन
379. मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन)
380. मिथाइल क्लोरोइड
381. मिथाइल क्लोरोफोम
382. मिथाइल क्लोरोफोरेट
383. मिथाइल साइक्लोहेक्सेन
384. मिथाइल डाइसल्फाइड
385. मिथाइल एथाईल किटोन पैरोक्साईड (कोन. 60 प्रतिशत)
386. मिथाइल फोरमेट
387. मिथाइल हाइड्राजाइन
388. मिथाइल आइसोबुटाईल किटोन
389. मिथाइल आइसोवियानोट
390. मिथाइल आइसोथियोसियानेट
391. मिथाइल मरक्यूरिक डाइसाइनामाइड
392. मिथाइल मरकैप्टन

393. मिथाइल मैथाक्राईलेट
394. मिथाइल फेनकेपटोन
395. मिथाइल फोसफोनिक डाइक्लोराइड
396. मिथाइल थायोसाइनेट
397. मिथाइल ट्रीक्लोरोसीलेन
398. मिथाइल विनायल कटोन
399. मिथाइलीन बिस (2 - क्लोरोएनीलाइन)
400. मिथाइलीन क्लोराइड
401. मिथाइलीन बिस-4,4 (2 - क्लोरोएनीलाइन)
402. मेटोलकार्ब
403. मेविनफोस
404. मैजाकार्बेट
405. मीटोमाइसिन सी
406. मोलिबडैनम पाउडर
407. मोनोक्रॉपटोफोस
408. मोरफोइन
409. म्यूसीनोल
410. मस्टर्ड गैस
411. एन-ब्यूटाइल एसीटेट
412. एन-ब्यूटाइल एल्कोहल
413. एन-हेक्सेन
414. एन- मिथाइल-एन 2, 4, 6-टैट्रानाइट्रोएनीलाइल
415. नैपथा
416. नैपथा सोल्वेंट
417. नैपथालीन
418. नैपथाइल अमाइन
419. निकल कार्बोनिल / निकल टैट्राकार्बोनिल
420. निकल पाउडर
421. निकोटिन

422. निकोटिन सल्फेट
423. नाइट्रिक एसिड
424. नाइट्रिक ऑक्साइड
425. नाइट्रोबैनजीन
426. नाइट्रोसैल्यूलोस (ड्राई)
427. नाइट्रोक्नोरोबैनजीन
428. नाइट्रोसाइकलोहेक्सेन
429. नाइट्रोजन
430. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
431. नाइट्रोजन ऑक्साइड
432. नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड
433. नाइट्रोग्लिसरीन
434. नाइट्रोप्रोपेन-1
435. नाइट्रोप्रोपेन-II
436. नाइट्रोसो डीमिथाइलेमिन
437. नोनेन
438. नोरबोरमाइड
439. ओ-क्रीसल
440. ओ-नाइट्रो टोल्यून
441. ओ-टोलूडाइन
442. ओ-साइलीन
443. ओ/पी नाइट्रोऐनीलाइन
444. ओलीयम
445. ओ ओ-डाइथाइल एस-इथाइल सल्फोनीमिथाइलफोस
446. ओ ओ-डाइथाइल एस आइसोप्रोपीलथियोमिथाइल फोसफोरोडिथियोलेट
447. ओ ओ-डाइथाइल एस-इथाइलसल्फिनाइलमिथाइल फोसफोरोथियोएट
448. ओ ओ-डाइथाइल एस-इथाइलसलफोनीलमिथाइल फोसफोरोडिथियोलेट
449. ओ ओ-डाइथाइल एस-इथाइलथियोमिथाइल फोसफोरोडीथियोएट
450. ओरगेनो रहोडीयम कोम्प्लैक्स

451. ओरेटिक एसिड
452. ओसमियम टेट्रोक्साइड
453. ओक्साबेन
454. ओक्सामाइल
455. ओक्सीटेन, 3,3-बिस (क्लोरोमिथाईल)
456. ओक्सीडाइफेनोक्सराइन
457. ऑक्सी डिसूलफोटन
458. ऑक्सीजन (लिक्विड)
459. ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड
460. ओजोन
461. पी-नाइट्रोफिनोल
462. पैराफिन
463. पैराऑक्सोन (डाइथाइल 4 नाइट्रोफिनाइल फोसफेट)
464. पैराकुएट
465. पैराकुएट मैथोसल्फेट
466. पैराथियोन
467. पैराथियोन मिथाइल
468. पैरिस ग्रीन
469. पैन्टा बोरेन
470. पैन्टा क्लोरो इथेन
471. पैन्टा क्लोरो फिनोल
472. पैन्टाब्रोमोफिनोल
473. पैन्टाक्लोरो नैपथलीन
474. पैन्टाडीसाइल अमाइन
475. पैन्टाइराइथियोरोल टैट्रानाइट्रेट
476. पैन्टेन
477. पैन्टानन
478. परक्लोरिक एसिड
479. परक्लोरोइथीलीन

480. पैरोक्सीएसीडिक एसिड
481. फिनोल
482. फिनोल, 2, 2-थियोबिस (4, 6-डाइक्लोरो)
483. फिनोल, 2, 2-थियोबिस (4, क्लोरो 6-मिथाइल फिनोल)
484. फिनोल, 3-(1-मिथाइल इथाइल) मिथाइलकार्बोनेट
485. फिनाइल हाइड्रेजाइन हाइड्रोक्लोराइड
486. फिनाइलमरकरी एसिटेट
487. फिनाइल सिलेट्रेन
488. फिनाइल थियोऐरा
489. फोनीलेन-पी-डायामिन
490. फोरेट
491. फोसेसिटिन
492. फोसफोलेन
493. फोसजिन
494. फोसमैट
495. फोसफैमिडोन
496. फौसफिन
497. फौसफोरिक एसिड
498. फौसफोरिक एसिड डाईमिथाइल (4-मिथैलथियो)
499. फौसफोरिक एसिड डाईमिथाइल एस-(2-बिस) एस्टर
500. फौसफोरिक एसिड मिथाइल (एस्टर)
501. फौसफोरिक एसिड, 00 डाईमिथाइल एस-(2-मिथाइल)
502. फौसफोरिक मिथाइल-इथाइल एस्टर
503. फौसफोरस
504. फौसफोरस ऑक्सीक्लोराइड
505. फौसफोरस पैन्टासाइड
506. फौसफोरस ट्रीक्लोराइड
507. फौसफोरस पैन्टा क्लोराइड
508. फथालिक एनहाइड्रैड

509. फाइलोक्यूनन
 510. फाइसोस्टीगनाइन
 511. फाइसोस्टीगनाइन सेलीसाइलेट (1:1)
 512. पिकरिक एसिड (2, 4, 6- ट्रिनाइट्रोफिनोल)
 513. पिकरोटोक्सिन
 514. पाइपरडाइन
 515. पाइपरोटल
 516. प्रीनीफोस-इथाइल
 517. प्लेटीनस क्लोराइड
 518. प्लेटीनम टेट्राक्लोराइड
 519. पोटेशियम अरसीनेट
 520. पोटेशियम क्लोरेट
 521. पोटेशियम साइनाईड
 522. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
 523. पोटेशियम नाईट्राइड
 524. पोटेशियम नाइट्राईट
 525. पोटेशियम पैरोक्साइड
 526. पोटेशियम सिल्वर साइनाईड
 527. पाउडरड मैटल्स एंड मिक्चरस
 528. प्रोमीकेब
 529. प्रोम्यूरिट
 530. प्रोपैनीसल्टोन
 531. प्रोपैरगिल एल्कोहल
 532. प्रोपैरगिल ब्रोमाइड
 533. प्रोपेन-2-क्लोरो-1, 3-डिओलडाएसीटेट
 534. प्रोपीयोलेक्टर बेटा
 535. प्रोपीयोनीट्राइल
 536. प्रोपीयोनीट्राइल, 3-क्लोरो
 537. प्रोपीयोफीवन, 4-अमीनो

538. प्रोपील क्लोरोफोरमेट
 539. प्रोपीलेन डाइक्लोराइड
 540. प्रोपीलेन गलोइकोल, अलाइईदर
 541. प्रोपीलेन इमाइन
 542. प्रोपीलेन ऑक्साइड
 543. प्रोथोएट
 544. पस्यूडोसयूमेन
 545. पाइरेजोक्सन
 546. पाइरीन
 547. पाइरीडाइन
 548. पाइरीडाइन, 2-मिथाइल-3-विनायल
 549. पाइरीडाइन, 4-नाइट्रो-1-ऑक्साइड
 550. पाइरीडाइन, 4-नाइट्रो-1-ऑक्साइड
 551. पाइरीमीनिल
 552. क्यूनालीफोस
 553. क्यूनन
 554. रोडियम ट्राईक्लोराइड
 555. सैल्कोमाइन
 556. सैरिन
 557. सीलिनियस एसिड
 558. सीलिनियम हैक्साक्लोराइड
 559. सीलिनियम ऑक्सीक्लोराइड
 560. सैमीकार्बाडाइज़ड हाइड्रोक्लोराइड
 561. साइलेन (4-अमीनो ब्यूटाइल) डाइथोक्सीमैथ
 562. सोडियम
 563. सोडियम अंधरा क्यूनन-1-सल्फोनेट
 564. सोडियम अर्सीनेट
 565. सोडियम अर्सीनाइट
 566. सोडियम अडाइज़ड

567. सोडियम केकोडाइलेट
 568. सोडियम क्लोरेट
 569. सोडियम साइनाईड
 570. सोडियम फलोरो-ऐसीटेट
 571. सोडियम हाइड्रोक्साइड
 572. सोडियम पैन्टाक्लोरो-फीनेट
 573. सोडियम पाइक्रोमेट
 574. सोडियम सेलीनेट
 575. सोडियम सेलीनाइट
 576. सोडियम सल्फाइड
 577. सोडियम टैलोराइट
 578. स्टेन ऐसीटोक्सी ट्राइफिनाइल
 579. स्टीबाइन (ऐन्टीमोनी हाइड्राइड)
 580. स्ट्रेचनाइन
 581. स्ट्रेचनाइन सल्फेट
 582. सटाईफिनिक एसिड (2,4,6-ट्रीनीटोरसोरसीनल)
 583. सटाइरिन
 584. सलफोटेक
 585. सलफोक्साइड, 3-क्लोरोप्रोपाइल ऑक्टाइल
 586. सल्फरडाईक्लोराइड 23
 587. सल्फर डाइऑक्साइड
 588. सल्फरमोनोक्लोराइड
 589. सल्फर टेट्राफ्लोराइड
 590. सल्फर ट्रीऑक्साइड
 591. सल्फयूरिक एसिड
 592. टैलरियम (पाउडर)
 593. टैलरियम हैक्साफ्लोराइड
 594. टैप (टीट्रेथाइल फायरोफोसफेट)
 595. टरबुफोस

596. ट्रट-ब्यूटाइल एल्कोहल
597. ट्रट-ब्यूटाइल पैरोक्सी कैबोनेट
598. ट्रट-ब्यूटाइल पैरोक्सी आइसोप्रोपाइल
599. ट्रट-ब्यूटाइल पैरोक्सीऐसीटेट (कोन > 70 प्रतिशत)
600. ट्रट-ब्यूटाइल पैरोक्सीपाइवेलेट (कोन > 77 प्रतिशत)
601. ट्रट-ब्यूटीपैरोक्सीआइसोब्यूटाइरेट
602. टीट्रा हाइड्रोफयूरेन
603. टीट्रा मिथाइल लीड
604. टीट्रा नाइट्रोमिथेन
605. टीट्रा क्लोरोडाइबैनजो-पी डाईऑक्सीन, 1, 2, 3, 7, 8 (टीसीडीडी)
606. टीट्राइथाइल लीड
607. टीट्राफल्यूआरोइथेन
608. टीट्रामिथाइलेनर डिसल्फोटैट्रामाइन
609. थालिक ऑक्साइड
610. थलियम कार्बोनेट
611. थलियम सल्फेट
612. थैलियस क्लोराइड
613. थैलियस मैलोनेट
614. थैलियस सल्फेट
615. थियोकार्बाज़ाइड
616. थियोसाइनामीएसिड, 2 (बैनजोथियाजोलाइथियो) मिथाइल
617. थियोफेमोक्स
618. थियोमीटन
619. थियोनाज़ीन
620. थियोनाइल क्लोराइड
621. थियोफिनोल
622. थियोसेमीकार्बाज़ाइड
623. थियोरिया (2-क्लोरो-फिलाइल)
624. थियोरिया (2-मिथाइल-फिलाइल)

625. तिरपेट (2,4-डाइमिथाइल-1, 3-डाइथियोलेन)
626. टीटेनियम पाउडर
627. टीटेनियम टीट्रा-पाउडर
628. टौल्यूइन
629. टौल्यूइन-2-4-डाइआइसेसाइनेट
630. टौल्यूइन-2-6-डाइआइसोसाइनेट
631. ट्रांस-1, 4-डाइक्लोरोबुटीन
632. ट्रि-नाइट्रो ऐनीसोल
633. ट्रि-1 (साइक्लोहैक्सिल) मिथाइलसटैनाइल 1, 2, 4 ट्रैजोल
634. ट्रि (साइक्लोहैक्सिल) सटैनाइल 1एच-1, 2, 3 ट्रैजोल
635. ट्रिमीनोटीनाइट्रोबैन्जीन
636. ट्रिमफोस
637. ट्रिजोफोस
638. ट्रिब्रोमोफिनोल 2, 4, 6
639. ट्राईक्लोरो नैपथलीन
640. ट्राईक्लोरो क्लोरोमिथाइल सिलेन
641. ट्राइक्लोरीथाइल सिलेन
642. ट्राईक्लोराडाइक्लोरोफिनाइलसिलेन
643. ट्राइक्लोरीथाइल सीलेन
644. ट्राइक्लोरीथाइलेन
645. ट्राइक्लोरोमिथेनसलफिनाईल क्लोराइड
646. ट्राइक्लोरोनेट
647. ट्राइक्लोरोफिनोल, 2, 3, 6
648. ट्राइक्लोरोफिनोल, 2, 4, 5
649. ट्राइक्लोरोफिनाइल सीलेन
650. ट्राइक्लोरोफोन
651. ट्राइथोक्सी सीलेन
652. ट्राइथाइलेमिन
653. ट्राइथइलेमिमैलामाइन

654. ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन
 655. ट्राइमिथाइलोप्रोपेन फौसफाइट
 656. ट्राइमिथाइल टिन क्लोराइड
 657. ट्राइनाइट्रोएनीलाइन
 658. ट्राइनाइट्रो बेनजीन
 659. ट्राइनाइट्रोबैनजाइक एसिड
 660. ट्राइनाइट्रो फिनीटोल
 661. ट्राइनाइट्रौ एमक्रीसोल
 662. ट्रिनट्राटौल्यून
 663. ट्राइ औथोक्रीसील फौसफेट
 664. ट्राइफिनाइलटिन क्लोराइड
 665. ट्रिस (2-क्लोरोइथाइल) इमाइन
 666. टरपैनटाईन
 667. यूरेनियम एण्ड इटस कम्पाउंड
 668. वैनिलोमाइसिन
 669. वैनेडियम पैंटाऑक्साइड
 670. विनाइल ऐसीटेट मोनोनर
 671. विनाइल ब्रोमाइड
 672. विनाइल क्लोराइड
 673. विनाइल साइक्लोहैक्सेन डाइऑक्साइड
 674. विनाइल फ्लोराइड
 675. विनाइल नोरबोरेन्स
 676. विनाइल टौल्यूइन
 677. विनाइलीडिन क्लोराइड
 678. वारफरीन
 679. वारफरीन सोडियम
 680. एकजीलिनडाइक्लोराइड
 681. एकजीलिडिन
 682. जिंक डाइक्लोरोपैंटानाइड्रिल

683. जिंक फोसफाइड
684. जिरकोनियम एण्ड कम्पाउंड

अनुसूची 2

{(देखिए नियम 2 (क) (ii), 2 (ग), 5 (1) (ख), 7 (ख), 8 (1))}

अनुसूची 4 में आने वाले संस्थापना या संस्थापनाओं से भिन्न एकल भण्डारण

- (क) उसी अधिभोगी से संबंधित संस्थापना या स्थापनाओं के समूह के संबंध में नीचे उपवर्णित न्यूनतम मात्रा जहां संस्थापनाओं के बीच की दूरी किसी मुख्य दुर्घटना जोखिम की पूर्वानुमान परिस्थितियों में बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। ये न्यूनतम मात्राएं उसी अधिभोगी से संबंधित संस्थापनाओं के समूह के प्रत्येक किसी मामले में लागू होगी जहां संस्थापकों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है।
- (ख) एकल भण्डारण में खतरनाक रसायनों की न्यूनतम मात्रा निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए किसी खतरनाक रसायनों को भी विचार में लिया जाएगा जोकि:-
- (i) स्थल का नियंत्रण रखने वाले अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी पाइप लाइन के उस भाग से उस स्थल के 500 मीटर में है तथा उस से जुड़ी है;
- (ii) उस अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य स्थल में उसकी सीमा का कोई भाग जो उक्त स्थल के 500 मीटर में है; तथा
- (iii) उसी अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी वाहन, समुद्री जहाज, हवाई जहाज या होवरक्राफ्ट जो या तो स्थल पर या इसके 500 मीटर के भण्डारण प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है;

किन्तु किसी वाहन, समुद्री जहाज, वायुयान अथवा होवरक्राफ्ट जिन्हें सामान लाने तथा ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है के अन्दर भरे खतरनाक रसायन को विचार में नहीं लिया जाएगा।

क्रम संख्या	रसायन	न्यूनतम मात्रा (टनों में)	
		नियम 5, 6, 8, 9, 13 और 14 को लागू	नियम 10 से 12 को लागू
1	2	3	4
1	एक्रीलोनीट्राइल	3,50	5,000
2	अमोनिया	60	600
3	अमोनियम नाइट्रेट (ए)	350	2,500
4	अमोनियम नाइट्रेट फर्टीलाइजरस (बी)	1,250	10,000

5	क्लोरीन	10	
6	ज्वलनशील, गैसिज जो अनुसूची 1 यथा पैराग्राफ (ख) में परिभाषित	50	3,00
7	अत्यधिक ज्वलनशील तरल जो अनुसूची 1 के पैराग्राफ (ख) में परिभाषित किया गया है।	5000	50,000
8	तरल आक्सीजन	200	2,000
9	सोडियम क्लोरेट	25	250
10	सल्फर डायोक्साइड	20	500
11	सल्फर ट्रायोक्साइड	15	100
12	कार्बोनिल क्लोराइड	0.750	0.750
13	हाईड्रोजन सल्फाईड	5	50
14	हाईड्रोजन फ्लोराइड	4	50
15	हाईड्रोजन सायनाइड	5	50
16	कार्बन डाइसल्फाईड	20	200
17	ब्रोमाईन	50	500
18	इथाइलिन आक्साइड	5	501
19	प्रोपाइलिन आक्साइड	5	50
20	2-प्रोपीनल (एक्रोलिन)	20	200
21	ब्रोमोमिथेन (मिथाइल ब्रोमाइड)	20	200
22	मिथाइल आइसोसियानेट	0.150	0.150
23	टैट्राएथी लीड और टैट्रामिथाइल लीड	5	50
24	1, 2 डाइब्रोमोइथेन (इथाइलिन डाइब्रोमाइड)	5	50
25	हाईड्रोजन क्लोराइड (लिक्वीफाइड गैस)	25	250
26	डाइफिनाइल मिथेन डाई-आइसोसियानेट (एच डी आई)	20	200
27	टौल्यूइन डाई- आइसोसियानेट (टी डी आई)	10	100
28	अति अत्याधिक ज्वलनशील तरल जो अनुसूची 1 के पैराग्राफ ख (iii) में परिभाषित है।	7,000	7,000

29	अत्यधिक ज्वलनशील तरल जो अनुसूची 1 के पैराग्राफ ख (iv) में परिभाषित है।	10,000	10,000
30	ज्वलनशील तरल जो अनुसूची 1 के पैराग्राफ ख (v) में परिभाषित है।	15,000	1,00,000

- (क) यह अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण, जहां अमोनियम नाइट्रेट से निकलने वाले नाइट्रोजन-अवयवों का भार 28 प्रतिशत से अधिक होता है तथा अमोनियम नाइट्रोजन के जलीय घोल जहां अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता का भार 90 प्रतिशत से अधिक होता है, पर लागू होता है।
- (ख) यह विशुद्ध अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों, जहां अमोनियम नाइट्रेट से निकलने वाले नाइट्रोजन अवयवों का भार 28 प्रतिशत से अधिक है, पर लागू होते हैं (मिश्रित उर्वरक में फास्फेट और/या पोटैश सहित अमोनियम नाइट्रेट अन्तर्विष्ट है)।

अनुसूची 3

{देखिए नियम 2, (क) (iii), 7(क) 8 (1)}

नियम 6 तथा 8 से 14 को लागू होने के लिए खतरनाक रसायनों की सूची

- (क) उसी अधिभोगी से संबंधित स्थापनाओं या संस्थापनाओं के समूह के संबंध में नीचे उपवर्णित न्यूनतम मात्रा जहां संस्थापनाओं के बीच की दूरी किसी मुख्य दुर्घटना जोखिम की पूर्वानुमान परिस्थितियों में बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। ये न्यूनतम मात्राएं उसी अधिभोगी से संबंधित संस्थापनाओं के प्रत्येक समूह के किसी मामले में लागू होंगी जहां संस्थापनाओं की बीच की दूरी 500 मीटर से कम है।
- (ख) औद्योगिक स्थापना में खतरनाक रसायनों की न्यूनतम मात्रा निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए किसी खतरनाक रसायनों को भी विचार में लिया जाएगा जोकि:-
- (i) स्थल का नियंत्रण रखने वाले अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी पाइप लाइन के उस भाग से उस स्थल के 500 मीटर में है तथा उस से जुड़ी है;
 - (ii) उस अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य स्थल में उसकी सीमा का कोई भाग जो उक्त स्थल के 500 मीटर में है;
 - (iii) उसी अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी वाहन, समुद्री जहाज, हवाई जहाज या होवरक्राफ्ट जो या तो स्थल पर या इसके 500 मीटर के भण्डारण प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है;

किन्तु किसी वाहन, समुद्री जहाज, वायुयान अथवा होवरक्राफ्ट जिन्हें सामान लाने तथा ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है के अन्दर भरे खतरनाक रसायन को विचार में नहीं लिया जाएगा।

भाग 1
रसायनों के नाम

क्रम संख्या	रसायन	न्यूनतम मात्रा		कैमिकल एबस्ट्रैक्टस सर्विस संख्या
		नियम 6, 8, 9, 13 और 14 को लागू	नियम 10 से 12 को लागू	
1	2	3	4	5
वर्ग-1 जहरीले रसायन				
1	एल्डीकार्ब	100 किलोग्राम		116-06-3
2	4-अमीनोडाइफिनाइल	1 किलोग्राम		92-67-1
3	एमीटोन	1 किलोग्राम		78-53-5
4	एनाबेसिन	100 किलोग्राम		494-52-0
5	आरसीनिक पैन्टाक्साइड, आरसीनिक (v) एसिड तथा साल्ट	500 किलोग्राम		
6	आरसीनिक ट्रायोक्साइड, आरसीनियस (iii) एसिड तथा साल्ट	100 किलोग्राम		
7	आरसिन (आरसीनिक हाइड्राइड)	10 किलोग्राम		7784-42-1
8	एजिनफोस-इथाइल	100 किलोग्राम		2642-71-9
9	एजिनफोस - मिथाइल	100 किलोग्राम		86-50-0
10	बैंजीडाइन	1 किलोग्राम		92-87-5
11	बैंजीडाइन साल्टस	1 किलोग्राम		
12	बैरिलियम (पाऊडरज, कम्पाउंडज)	10 किलोग्राम		
13	बिस (2-क्लोरोइथाइल) सल्फाइड	1 किलोग्राम		505-60-2
14	बिस (क्लोरोमिथाइल) इथर	1 किलोग्राम		542-88-1
15	कार्बोफ्यूरान	100 किलोग्राम		1563-66-2
16	कार्बोफिनोथियोन	100 किलोग्राम		786-19-6
17	क्लोरफिनविनफोस	100 किलोग्राम		470-90-6
18	4-(क्लोरोफोरमाइल) मोरफोलाइन	1 किलोग्राम		15159-40-7
19	क्लोरोमिथाइल, मिथाइल इथर	1 किलोग्राम		107-30-2
20	पाउडरज के रूप में कोबाल्ट मैटल,	1 टन		

	आक्साइजडज, कार्बोनेटस, सल्फाइडज		
21	क्रिमीडाइन	100 किलोग्राम	535-89-7
22	सियानथोएट	100 किलोग्राम	3734-95-0
23	सइकलोहक्सामाइड	100 किलोग्राम	66-81-9
24	डीमैटोन	100 किलोग्राम	8065-48-3
25	डियालीफोस	100 किलोग्राम	10311-84-9
26	को-डाइथाइल एस-इथाइल सलफिनाइल मिथाइल फासफोरोथियोट	100 किलोग्राम	2588-05-8
27	ओ०ओ०-डाइथाइल एस-इथाइल सलफोनाइल मिथाइल फासफोरोथिओएट	100 किलोग्राम	2588-06-9
28	ओ०ओ०-डाइथाइल एस-इथाइल थाइओमिथाइल फौसफोरोडाईओएट	100 किलोग्राम	2600-69-3
29	ओ०ओ०-डाइथाइल एस-आइसोप्रोपाइल थियोमिथाइल फौसफोरोडाइथिओएट	100 किलोग्राम	78-52-4
30	ओ०ओ०-डाइथाइल एस-प्रोपाइलथियो-मिथाइल फौसफोरोथियोएट	100 किलोग्राम	3309-68-0
31	डाइमफाक्स	100 किलोग्राम	115-26-4
32	डाइमिथाइलकार्बामोयल क्लोराइड	1 किलोग्राम	79-44-7
33	डाइमिथाइलनाइट्रोसैमिन	1 किलोग्राम	62-75-9
34	डाइमिथाइल फौसफोरैमीडोसियोनिडिक एसिड	1 टन	63917-41-9
35	डाइफेसिनोन	100 किलोग्राम	82-66-6
36	डाइसल्फोटन	100 किलोग्राम	298-04-4
37	ई पी एन	100 किलोग्राम	2104-64-5
38	एथियोन	100 किलोग्राम	563-12-2
39	फेनसल्फोथियोन	100 किलोग्राम	115-90-2
40	फल्यूएनेटिल	100 किलोग्राम	4301-50-2

41	फल्यूओरोएसिटिक एसिड	1 किलोग्राम	144-49-9
42	फल्यूओरोएसिटिक एसिड, साल्टस	1 किलोग्राम	
43	फल्यूओरोएसिटिक एसिड, इस्टरज	1 किलोग्राम	
44	फल्यूओरोएसिटिक एसिड, एमाइडज	1 किलोग्राम	
45	4- फल्यूओरोबुटिरिक एसिड	1 किलोग्राम	462-23-7
46	4- फल्यूओरोबुटिरिक एसिड, साल्ट	1 किलोग्राम	
47	4- फल्यूओरोबुटिरिक इस्टरज	1 किलोग्राम	
48	4- फल्यूओरोबुटिरिक एसिड, एमाइडज	1 किलोग्राम	
49	4-फल्यूओरोक्रोटोनिक एसिड	1 किलोग्राम	37759-72-1
50	4-फल्यूओरोक्रोटोनिक एसिड, साल्टस	1 किलोग्राम	
51	4-फल्यूओरोक्रोटोनिक एसिड, इस्टरज	1 किलोग्राम	
52	4-फल्यूओरोक्रोटोनिक एसिड, एमाइडज	1 किलोग्राम	
53	4-फल्यूओरो-2-हाइड्राक्सीबुटिरिक एसिड	1 किलोग्राम	
54	4-फल्यूओरो-2-हाइड्राक्सीबुटिरिक एसिड साल्ट	1 किलोग्राम	
55	4-फल्यूओरो-2-हाइड्राक्सीबुटिरिक एसिड	1 किलोग्राम	
56	4-फल्यूओरो-2-हाइड्राक्सीबुटिरिक एसिड, एमाइडज	1 किलोग्राम	
57	ग्लाइकोलोनाइट्राइल (हाइड्राक्सीएसीटोनीट्राइल)	100 किलोग्राम	107-16-4
58	1, 2, 3, 7, 8, 9 - हैक्साक्लोरोडाइबेंजो-पी-डायोक्सीन	100 किलोग्राम	19408-74-3
59	हैक्सामिथाइलफौसफोरामाइड	10 किलोग्राम	680-31-9
60	हाइड्रोजन सैलीनाइड	10 किलोग्राम	7783-07-5
61	आइसोबैनजोन	100 किलोग्राम	297-78-9
62	आइसोड्रिन	100 किलोग्राम	465-73-6
63	जुगलोन 5 हाइड्राक्सीनेपथलीन-1, 4-डाइऑन	100 किलोग्राम	481-39-0

64	4, (2-क्लोरोएनीलाइन) 4-मिथाइलेनीबिस	10 किलोग्राम		101-14-4
65	मिथाइल आइसोसियानेट	150 किलोग्राम	150 किलोग्राम	624-83-9
66	मैविनफोस	100 किलोग्राम		7786-34-7
67	2-नेपथीलेमिन	1 किलोग्राम		91-59-8
68	पाउडरज के रूप में निकल मैटल, औक्साइडज, कार्बोनेटस सल्फाइड,	1 टन		
69	निकल टैट्राकार्बोनिल	10 किलोग्राम		13463-39-3
70	आक्सीडाइसल्फोटोन	100 किलोग्राम		2497-07-6
71	औक्सीजन डाइफ्लोराइड	10 किलोग्राम		7783-41-7
72	पैराक्सान (डाइथइल 4- नाइट्रोफिनाइल फौसफेट)	100 किलोग्राम		311-45-5
73	पैराथिओन	100 किलोग्राम		56-38-2
74	पैराथिओन-मिथाइल	100 किलोग्राम		298-00-0
75	पैन्टाबोरन	100 किलोग्राम		19624-22-7
76	फोरेट	100 किलोग्राम	100 कि०ग्रा०	298-02-2
77	फौसेसैटिम	100 किलोग्राम		4104-14-7
78	फौसजिन (कार्बोनाइल क्लोराइड)	750 किलोग्राम	750 कि०ग्रा०	75-44-5
79	फौसफैमिडोन	100 किलोग्राम		13171-21-6
80	फौसफिन (हाइड्रोजन फौसफाइड)	100 किलोग्राम		7803-51-2
81	प्रोमुरित (1-3, 4-डाइक्लोरोफिनाइल) - 3 ट्राइएजिनथियो कार्बोक्सामाइड)	100 किलोग्राम		5836-73-7
82	1, 3 - प्रोपैनीसल्टोन	1 किलोग्राम		1120-71-4
83	1-प्रोपैन-2-क्लोरो-1-3 डायसिस्टेट	10 किलोग्राम		10118-72-6
84	पाइराजोक्सोन	100 किलोग्राम		108-34-9
85	सोलीनियम हैक्साफल्यूओराइड	10 किलोग्राम		7783-70-1
86	सोडियम सैलीनाइट	100 किलोग्राम		10102-18-8
87	स्टाइबाइन (एन्टीमोनी हाइड्राइड)	100 किलोग्राम		7803-52-3
88	सल्फोटोप	100 किलोग्राम		3689-24-5
89	सल्फरडाईक्लोराईड	1 टन		10545-99-0

90	टेलरियम हैक्साफ्लोराइड	100 किलोग्राम		7783-80-4
91	टैप (टी ई पी पी)	100 किलोग्राम		107-49-3
92	2, 3, 7, 8-टैट्राक्लोरोबेंजो-पी-डायोकसिन (टी सी डी डी)	1 किलोग्राम		1741-01-6
93	टैट्रामिथाइलैनीडिसल्फोटैट्रामाइन	1 किलोग्राम		80-12-6
94	थिओनाजीन	100 किलोग्राम		297-97-2
95	टिरपेट (2, 4-डाइमिथाइल) 1, 3 डाइथिओलेन-2-कार्बोक्सालडिहाइड ओ-मिथाइलकार्बोमोयलोक्साइम)	100 किलोग्राम		26419-73-8
96	ट्राइक्लोरोमिथेन-सलफिनाइल क्लोराइड	100 किलोग्राम		594-42-3
97	1 ट्राइ (साइक्लोहैक्साल) स्टैनी-1 एच-1, 2, 4-ट्रायोजोल	100 किलोग्राम		41083-11-8
98	ट्राइथाइल नीमैलामाइन	10 किलोग्राम		51-18-3
99	वरफैरिन	100 किलोग्राम		81-81-2
वर्ग-2 जहरीले रसायन				
100	एसीटोन सियानोहाइड्रिन (2-सियानोप्रैपैन-2-01)	200 टन		75-86-5
101	एक्रोलिऐन (2-प्रोपेनल)	20 टन		107-02-8
102	एक्रीलोनीट्राइल	20 टन	200 टन	107-13-1
103	एलिल एल्कोहल (2-प्रोपेनल-1-01)	200 टन		107-18-6
104	एलिलामाइन	200 टन		107-11-9
105	अमोनिया	50 टन	500 टन	7664-41-7
106	ब्रोमाइन	40 टन		7726-95-6
107	कार्बन डाइसल्फाइड	20 टन	200 टन	75-15-0
108	क्लोरीन	10 टन	25 टन	7782-50-5
109	डिफिनाइल मिथेन डाइ-आइसोसियानेट (एम०डी०आई०)	20 टन		101-68-8
110	इथाइलिन डाइब्रोमाइड (1, 2-डाइब्रोमिथेन)	5 टन		106-93-4

111	इथाइलेनीमाइन	50 टन		151-56-4
112	फोरमलडिहाइड (कंसन्ट्रेशन ≥ 90 प्रतिशत)	5 टन		50-00-0
113	हाइड्रोजन क्लोराइड	25 टन	250 टन	7647-01-0
114	हाइड्रोजन क्लोराइड (लिक्वीफाइड गैस)	5 टन	20 टन	74-90-8
115	हाइड्रोजन फ्लोराइड	5 टन	50 टन	7664-39-3
116	हाइड्रोजन सल्फाइड	5 टन	50 टन	7783-06-4
117	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमिथेन)	20 टन		74-83-9
118	नाइट्रोजन आक्साइड	50 टन		11104-93-1
119	प्रोपाइलेनीमाइन	50 टन		75-55-8
120	सल्फर डायोक्साइड	20 टन	250 टन	7446-09-5
121	सल्फर ट्रायोक्साइड	15 टन	75 टन	7446-11-9
122	टैट्राइथाइल लीड	5 टन		78-00-2
123	टैट्रामिथाइल लीड	5 टन		75-74-1
124	टौल्यूइन डाइ-आइसोसियानेट (टी डी आई)	10 टन		584-84-9
वर्ग-3 अधिक प्रतिक्रिय रसायन				
125	एसीटाइलिन (इथाइन)	5 टन		74-86-2
126	क, अमोनियम नाइट्रेट (1) ख, खाद के रूप में अमोनियम नाइट्रेट	350 टन 1250 टन		6484-52-2
127	2, 2-बिस (टरट बुटाइल-पैराक्सी)बुटेन कंसन्ट्रेशन ≥ 70 प्रतिशत)	5 टन		2167-23-9
128	1-1-बिस (टरट-बुटाइल-पैरोक्सी) साइकोहैक्सान(कंसन्ट्रेशन ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		3006-86-8
129	टरट-बुटाइल पैरोक्सीएसीटेट (कंसन्ट्रेशन ≥ 70 प्रतिशत)	5 टन		107-71-1
130	टरट-बुटाइल पैरोक्सीआइसोबुटीरेट (कंसन्ट्रेशन ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		109-13-7
131	टरट-बुटाइल पैरोक्सीआइसोप्रोपाइल	5 टन		2372-21-6

	कार्बोनेट (कंसन्ट्रेशन ≥ 80 प्रतिशत)			
132	टरट-बुटाइल पैरोक्सीमालिएट (कंसन्ट्रेशन ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		1931-62-0
133	टरट-बुटाइल पैरोक्सीपिवालेट (कनसनट्रेशन ≥ 77 प्रतिशत)	50 टन		927-07-1
134	डाइबैनजाइल पैरोक्सीडाइकार्बोनेट (कंसन्ट्रेशन ≥ 90 प्रतिशत)	5 टन		2144-45-8
135	डाइ-सैक-बुटाइल पैराक्सीडाइकार्बोनेट (कंसन्ट्रेशन ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		19910-65-7
136	डाइथाइल पैरोक्सीडाकार्बोनेट (कनसनट्रेशन ≥ 30 प्रतिशत)	50 टन		14666-78-5
137	2, 2-डाइहाअड्रोपैरोक्सीप्रीपेन (कनसनट्रेशन ≥ 30 प्रतिशत)	5 टन		2614-76-8
138	डाइ-आइसोबुट्राइल पैरोक्साइड (कनसनट्रेशन ≥ 90 प्रतिशत)	50 टन		3437-84-1
139	डाइ-एन-प्रोपाइल पैरोक्सीडाइकार्बोनेट (कंसन्ट्रेशन ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		16066-38-9
140	इथाइलिन ऑक्साइड	5 टन	50 टन	75-21-8
141	इथाइल नाइट्रेट	50 टन		625-58-1
142	3, 3, 6, 6, 9, 9 - हैक्सामिथाइल 1, 2, 4, 5 - टैट्रोक्सासाइकलोनेन (कंसन्ट्रेशन ≥ 75 प्रतिशत)	50 टन	50 टन	22397-33-7
143	हाइड्रोजन	2 टन	50 टन	1333-74-0
144	लिक्विड ऑक्सीजन	200 टन		7782-44-7
145	मिथाइल इथाइल किटोन पैराक्साइड (कंसन्ट्रेशन ≥ 60 प्रतिशत)	5 टन	5 टन	1338-23-4
146	मिथाइल आइसोबुटाइल किटोन पैरोक्साइड(कनसनट्रेशन ≥ 60 प्रतिशत)	50 टन		37206-20-5
147	पैरासिटिक एसिड (कनसनट्रेशन \geq)	50 टन		79-21-0

	60प्रतिशत)			
148	प्रोपीलेन आक्साइड	5 टन	5 टन	75-56-9
149	सोडियम क्लोरेट	25 टन		7775-09-9
वर्ग-4 विस्फोटक रसायन				
150	बरियम एजाइड	50 टन		18810-58-7
151	बिस (2, 4, 6-ट्रिनाइटोफिनाइल) एमाइन	50 टन		131-73-7
152	क्लोरोट्रिनाइट्रोबैजिन	50 टन		28260-61-9
153	सैल्यूलोज नाइट्रेट (कनटेनिंग >= 12, 6 प्रतिशत नाइट्रोजन)	50 टन		9004-70-0
154	साइकलोटैट्रामिथाइलेन टैट्रानाइट्रेमाइन	50 टन		2691-41-0
155	साकलोटैट्रामिथाइलैनिट्री नाइट्रोएमाइन	50 टन		121-82-4
156	डायाजोडीनाइट्रोफिनाइल	10 टन		7008-81-3
157	डाइथलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट	10 टन		693-21-0
158	डाइनाइट्रोफिनाइल, साल्ट	50 टन		
159	इथाइलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट	10 टन		628-96-6
160	1-गुआनिल-4 नाइट्रोसेमाइनयोगुआनिल-1-टैट्राजिन	10 टन		109-27-3
161	2, 2, 4, 4, 6, 6, हैक्सानाइट्रोस्टिलबैन	50 टन		20062-22-0
162	हाइड्राजिन नाइट्रेट	50 टन		13464-97-6
163	लीड एजाइड	50 टन		13424-46-9
164	लीड स्टाइफनेट (लीड-2, 4, 6-ट्रिनाइट्रो-रिसोरसीनाक्साइड)	50 टन		15245-44-0
165	मरकरी फलमीनेट	10 टन		628-86-4
166	एन-मिथाइल-एन 2, 4, 6 टैट्रानाइट्रोएनीलाइन	50 टन		479-45-8
167	नीट्रोग्लिसरीन	10 टन	10 टन	55-63-0
168	पैट्राएरीथ्रीटोल टैट्रानाइट्रेट	50 टन		78-11-5
169	पिकरिक एसिड (2, 4, 6-ट्रिनाइट्रोफिनाइल)			88-89-1
170	सोडियम पिकरामेट	50 टन		831-52-7

171	स्टार्डफनिक एसिड (2, 4, 6-ट्राइनाइट्रो-रिसोसीनोल)	50 टन		82-71-3
172	1, 3, 5,-ट्रिअमीनो-2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोबैनजीन)	50 टन		3058-38-6
173	ट्राइनाइट्रोएनीलीन	50 टन		26952-42-1
174	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोएनीसोल	50 टन		606-35-9
175	ट्राइनाइट्रोबैनजीन	50 टन		25377-32-6
176	ट्राइनाइट्रोबैनजोइक एसिड	50 टन		35860-50-5
177	ट्राइनाइट्रोक्रीसोल	50 टन		28905-71-7
178	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफिनीटोल	50 टन		4732-14-3
179	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोटौल्यूइन	50 टन	50 टन	118-96-7

भाग-II

उन द्रव्यों के वर्ग जो अनुसूची 1 के भाग-1 में परिभाषित किये गये हैं तथा जो विशेष रूप से इस अनुसूची के भाग-1 में नामित नहीं है

क्रम संख्या	रसायनों के वर्ग	न्यूनतम मात्रा	
		नियम 6, 8, 9, 13 और 14 को लागू	नियम 10 से 12 को लागू
1	2	3	4
	वर्ग-5 ज्वलनशील द्रव्य		
1	ज्वलनशील गैसें	15 टन	200 टन
2	अत्यधिक ज्वलनशील तरल	1,000 टन	5000 टन
3	बहुत अधिक ज्वलनशील तरल	1,500 टन	10000 टन
4	अधिक ज्वलनशील तरल जो दबाव पड़ने पर भी तरल रहता है	25 टन	200 टन
5	अधिक ज्वलनशील तरल	2500 टन	20,000 टन
6	ज्वलनशील तरल	5000 टन	50,000 टन

- (क) यह अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण, जहां अमोनियम नाइट्रेट से निकलने वाले नाइट्रोजन-अवयवों का भार 28 प्रतिशत से अधिक होता है तथा अमोनियम नाइट्रोजन के जलीय घोल जहां अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता का भार 90 प्रतिशत से अधिक होता है, पर लागू होता है।
- (ख) यह विशुद्ध अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों, जहां अमोनियम नाइट्रेट से निकलने वाले नाइट्रोजन अवयवों का भार 28 प्रतिशत से अधिक है, पर लागू होते हैं (मिश्रित उर्वरक में फास्फेट और/या पोटैश सहित अमोनियम नाइट्रेट अन्तर्विष्ट हैं)।

सी०ए०एस० संख्या (रसायन एबस्ट्रैक्ट सेवा संख्या) से अभिप्राय है, ऐसी संख्या जो रसायन एबस्ट्रैक्ट सेवा द्वारा रसायन को दी जाये।

अनुसूची -4
{देखिये नियम 2 (ख) (ग)}

1. कारखाने, जो जैवीय अथवा अजैवीय रसायनों का उत्पादन, विधायन अथवा उपचार के लिए ऐसे रसायनों का इस प्रयोजन के लिए प्रयोग करती है, अन्य रसायनों में निम्नलिखित रसायन भी हैं:-
 - (क) एल्कीलेशन
 - (ख) एमीनेशन द्वारा अमोनोलिसिज
 - (ग) कार्बोनीलेशन
 - (घ) कनडैनसेशन
 - (ङ.) डीहाइड्रोजनेशन
 - (च) एस्टैफिकेशन
 - (छ) हलोजनेशन तथा हलोजनस का निर्माण
 - (ज) हाइड्रोजनेशन
 - (झ) हाइड्रोलीसिस
 - (ञ) ऑक्सीडेशन
 - (त) पोलीमराइजेशन
 - (थ) सल्फोनेशन
 - (द) डिसल्फराईजेशन, सल्फर-कनटेनिंग कम्पाउंडज का निर्माण तथा रूपान्तरण
 - (ध) नाइट्रेशन तथा नाइट्रोजन कनटेनिंग कम्पाउंडज का निर्माण
 - (न) फासफोरस कनटेनिंग कम्पाउंडज का निर्माण
 - (प) फौरमुलेशन आफ पैस्टीसाइडज तथा आफ फार्मेस्युटिकल प्रोडक्टस
 - (फ) डिस्टीलेशन
 - (ब) एक्सट्रेशन
 - (भ) सौलवेशन
 - (म) मिक्सिंग
2. आसवन विधि, परिष्करण अथवा पैट्रोलियम या पैट्रोलियम उत्पादों के अन्य विधायन में लगी फैक्टरियां।
3. भट्टियां लगाकर अथवा रासायनिक अपघटन से ठोस अथवा तरल द्रव्यों का सम्पूर्ण या आंशिक निपटान करने वाली फैक्टरियां।

4. उर्जा उत्पन्न करने वाली गैसों उदाहरार्थ एल0 पी0 जी0 (लिक्वी फाई गैस), एल0 एन0 जी0 (लिक्वी फाई नैचुरल गैस), एस0एन0जी0 के उत्पादन, विधायन, प्रयोग तथा उपचार में लगी फैक्टरियां।
5. कोयला अथवा लिगनाइट के शुष्क आसवन में लगी फैक्टरियां।
6. वैट विधायन अथवा बिजली उर्जा के साधन से धातु अथवा गैर धातु उत्पादन में लगी फैक्टरियां।

अनुसूची 5
 {देखिये नियम 3 (2) (3)}
 सुरक्षा आंकड़ा शीट

1. सामग्री की पहचान			
उत्पाद का नाम		रासायनिक नाम	
व्यापारिक नाम		समानार्थक शब्द	
फार्मूला	लेबल: श्रेणी	कैमिकल एबस्ट्रैक्टस सर्विस संख्या	यू ० एन० संख्या
विनियमित पहचान	शिपिंग नाम कोड/लेबल	खतरनाक रसायन का कोड	
	खतरनाक अपशिष्ट की पहचान हेतु संख्या		
खतरनाक अवयव		कैमिकल एबस्ट्रैक्टस सर्विस संख्या	
1.			
2.			
3.			
4.			
2. भौतिक तथा रसायनिक गुण			
भौतिक स्थिति (गैस, तरल, ठोस)	उबाल बिन्दु डिग्री सेंटीग्रेट में	35 डिग्री सेंटीग्रेट पर वाष्प दबाव -मिलीमीटर पारा	
आभास	पिघलाव/जमाव बिन्दु डिग्री सेंटीग्रेट में	30 डिग्री सेंटीग्रेट पर वाष्पीकरण दर	

गंध	बाह्य संघनता (वायु-1)	30 डिग्री सेंटीग्रेट पर पानी में घुलनशीलता	
अन्य (संक्षारक इत्यादि)	विशिष्ट गुरुत्व (जल-1)	पी०एच०	
3. अग्नि तथा विस्फोटक खतरनाक आंकड़े			
विस्फोट / ज्वलनशीलता	ज्वलनांक (डिग्री सेंटीग्रेट)	एल०ई०एल० प्रतिशत	स्वप्रज्वलन होने के लिए तापमान डिग्री सेंटीग्रेट
	ज्वलनांक (डिग्री सेंटीग्रेट)	यू०ई०एल० प्रतिशत	टी०डी०जी० ज्वलनशीलता (वर्गीकरण)
4 प्रतिक्रिया जोखिम			
स्थिरता	संघात	(खतरनाक ज्वलन उत्पाद)	
	स्थिर निस्सारण	(खतरनाक सडन उत्पाद)	
	प्रतिक्रिया क्षमता	(बचाव की शर्त)	
खतरनाक बहुभाजन	हो सकता / नहीं हो सकता	(बचाव की शर्त)	
असंगति	बचाव की सामग्री		
5. स्वास्थ्य जोखिम आंकड़े			
प्रवेश मार्ग (श्वास, त्वचा, गले के अन्दर की झिल्ली, तथा आखों का सम्पर्क, तथा अनतर्ग्रहण)			
परित्याग का प्रभाव / लक्षण:			
एल डी 50 (चूहों में) (मुंह से या त्वचीय समावशन)	एल सी 50 (चूहों में) (मिली० ग्रा० / 1/4 घण्टे)	(मि०ग्रा० / कि०ग्रा० शारीरिक वजन)	

अनुज्ञात परित्याग	पी०पी०एम०/एम०जी०/ क्यूबिक मीटर	थोड़े समय की परित्याग सीमा (एस टी ई एल) पी०पी०एम०/एम०जी०/ क्यूबिक मीटर
न्यूनतम सीमा मूल्य (टी एल वी), आफ ए०सी०जी आई एच	पी०पी०एम०/एम०जी०/ क्यूबिक मीटर	न्यूनतम गंध सीमा पी०पी०एम० एम०जी०/क्यूबिक मीटर

आपातकालीन उपचार

6. जोखिमों विनिर्देशन

एन०एफ०पी०ए०जोखिम के संकेत	स्वास्थ्य	ज्वलनशीलता	स्थिरता	विशेष
ज्ञात जोखिम				
ज्वलनशील तरल	जल प्रतिक्रिया सामग्री	क्षोभक		
ज्वलनशील सामग्री	आक्सीकरण करने वाला	सुग्राही बनाने वाला		
दहनशील सामग्री	जैव पैराक्साईड	कैन्सरजन		
विस्फोटक सामग्री	सक्षारक सामग्री	मैटाजन		
अस्थिर सामग्री	सम्पीड़ित गैस	अन्य (विनिर्देश कीजिए)		

7. सुरक्षित उपयोग आंकड़े

संवातन	सामान्य स्थानीय वायुनिष्कासक यान्त्रिकी
अपेक्षित रक्षात्मक उपस्कर	नेत्र (विनिर्देश कीजिए) श्वास सम्बन्धी (विनिर्देश कीजिए) दस्ताने (विनिर्देश कीजिए) कपड़े (विनिर्देश कीजिए) अन्य (विनिर्देश कीजिए)
पूर्वोपाय	प्रबन्ध तथा भण्डारण अन्य (विनिर्देश कीजिए)

8. संकटकालीन उत्तर आंकड़े

अग्नि	अग्नि बुझाने वाला माध्यम
	विशेष प्रक्रिया
	अप्रायिक जोखिम
परित्याग (श्वास, त्वचा, तथा	प्रथम उपचार उपाय

आंख, सम्पर्क, अन्तर्ग्रहण)	
बिखेरना	किये जाने वाले उपाय
	अपशिष्ट निपटान रीति
9. अतिरिक्त सूचना	
10. उपयोग में लाये गये स्रोत	
पुस्तकों, पत्रिकाओं इत्यादि के सन्दर्भ स्रोत	
11. विनिर्मात/प्रदायक आंकड़े	
फर्म का नाम	मनक पैकिंग
पत्र व्यवहार के लिए पता	
दूरभाष संख्या	
टैलेक्स संख्या	अन्य
तार पता	अन्य
आपातकाल में सम्पर्क व्यक्ति	मार्गस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन टैलिफोन
परीवर्णी शब्द और पारिभाषिक शब्दावली	
कैमिकल एबस्ट्रैक्टस सर्विस रसायनिक सारांश तथा पंजीकरण संख्या	
यू०एन०संख्या: संयुक्त राष्ट्र संख्या	
जोखिम भरे रसायन का कोड: आपातकालीन फार्म (एच०ए०जैड०सी०एच०ई०एम०) कोड (ई०ए०सी०) अग्निशमन दल प्रचलन, यू. के. की संयुक्त समिति द्वारा आबंटित आपातकालीन कार्यवाही कोड (ई०ए०सी०)	
टी०जी०डी०ज्वलनशीलता: खतरनाक माल का लाना-ले जाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा ज्वलनशीलता वर्गीकरण।	
एन०एफ०पी०ए०:- राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।	
एल०डी० 50 तथा एल०सी० 50 का अभिप्राय है दवाई की खुराक शारीरिक वजन के अनुसार मिलीग्राम में/किलोग्राम में और सांद्रता 1 मिलीग्राम में/उपायरित 50 पशुओं (चूहों में) प्राण घातक प्रभाव वाले चार घण्टों के लिए एक पी०ई०एल० अनुज्ञेय परित्याग सीमा जो विधान में अधिकथित है।	
टी०एल०वी०:- न्यूनतम सीमा रत्य जो अमेरिका की राजकीय औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञानी सम्मेलन (ए०सी०जी०आइ०एच०), यू०एस०ए० द्वारा अधिकथित है।	

एस०टी०ई०एल०:- अल्पाविधि-परित्याग सीमा जो विधानों में या अमेरिका की राजकीय औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञानी सम्मेलन के द्वारा अधिकथित है।

दिशानिर्देश:- प्रपत्र के सभी खाने भरने के सभी प्रकार के प्रयत्न किये जाने चाहिए। किसी भी खाने को खाली ना रखा जाये। यदि कथिपथ रसायन बारे कोई भी महत्वपूर्ण खतरनाक सूचना उपलब्ध होती है, तो उसको यथाशीघ्र अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा आंकड़ा शीट में सम्मिलित किया जाएगा।

अनुसूची 6

{देखिए नियम 6 (1)}

मुख्य दुर्घटना की अधिसूचना के सम्बन्ध में भेजी जाने वाली सूचना

किसी विशेष दुर्घटना की रिपोर्ट संख्या.....

1. सामान्य आंकड़े		
(क)	स्थल का नाम	
(ख)	अधिभोगी का नाम और पता (टेलीफोन/टैलक्स संख्या भी बताएं)	
(ग)	(i) पंजीकरण संख्या	
	(ii) लाईसेंस संख्या (जो स्थल को लागू किसी विधान अर्थात् कारखाना अधिनियम के अधीन आबंटित की गई हो)	
(घ)	(i) औद्योगिक गतिविधि की किस्म (उल्लेख करें कि वस्तुतः क्या सामान विनिर्मित, संगृहीत आदि किया जाता है।)	
	(ii) चार अंकों के स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1987	
2. मुख्य दुर्घटना की किस्म		
विस्फोट	आग	खतरनाक रसायन का स्राव
3. मुख्य दुर्घटना का विवरण		
(क)	दुर्घटना की तिथि, पारी तथा घण्टा	
(ख)	विभाग/अनुभाग और सही स्थान, जहां पर दुर्घटना हुई	

(ग)	उस विभाग/अनुभाग की प्रक्रिया/कार्यवाही, जहां दुर्घटना हुई (यदि आवश्यक हो तो फ्लो चार्ट सलंगन करें)	
(घ)	दुर्घटना की परिस्थितियां और शामिल खतरनाक रसायन	
4.	किये गये आपातकालीन उपाय और दुर्घटना की अल्पकालिक प्रभावों को कम करने के लिए किये जाने वाले परिकल्पित उपाय	
5.	मुख्य दुर्घटना के ज्ञात कारण (विनिर्दिष्ट किया जाये) अज्ञात ज्यों ही सम्भव होगा, सूचना भेज दी जाएगी	
6.	क्षति की किस्म और सीमा	
(क)	स्थापना के अन्दर दुर्घटना	मारे गये घायल विषाक्त
(i)	-मुख्य दुर्घटना में उच्छन्न व्यक्ति	
(ii)	-क्षति सामग्री	
(iii)	-जो क्षति अभी भी विद्यमान है	
(iv)	-क्षति जो अब नहीं है	
(ख)	स्थापना से बाहर	
(i)	दुर्घटना	मारे गये घायल विषाक्त
(ii)	मुख्य दुर्घटना में उच्छन्न हुए व्यक्ति	
(iii)	क्षति सामग्री	
(iv)	पर्यावरण को हुई क्षति	
(v)	जो क्षति अभी भी विद्यमान है	

(vi)	क्षति जो अब नहीं है	
7.	व्यक्तियों और पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों के निर्धारण हेतु उपलब्ध आकड़े	
8	पहले ही किये गये अथवा परिकल्पित उपाय	
(क)	दुर्घटना के माध्यम या दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने के लिए	
(ख)	ऐसी ही मुख्य दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए	
(ग)	कोई अन्य संबंधित सूचना	

अनुसूची 7

{देखिए नियम 8 (1)}

स्थल अधिसूचना में निम्नलिखित किए जाने वाले ब्यौरे

- 1 अधिसूचना जारी करने वाले अधिभोगी का नाम और पता।
- 2 उस स्थल का पूरा डाक पता, जहां अधिसूचनीय औद्योगिक गतिविधि चलाई जाएगी।
- 3 अधिसूचना के अर्न्तगत आने वाले स्थल का तथा किसी निकटवर्ती स्थल का क्षेत्र जो अनुसूची 2 (ख) और अनुसूची 3(ख) के अनुसूची के आधार पर ध्यान रखा जाना अपेक्षित है।
- 4 वह तिथि, जिसको अधिसूचनीय औद्योगिक गतिविधि आरम्भ होने की प्रत्याशा है अथवा यदि यह पहले शुरू हो चुका है, तो इस सम्बन्ध में उसका विवरण दें।
- 5 उस प्रत्येक रसायन का नाम तथा उसकी अधिकतम मात्रा जो उस स्थल पर सम्भावित है, जिसके लिए अधिसूचना की जा रही है।
- 6 संगठन संरचना अर्थात् प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधि के लिए संगठन डायग्राम और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था।
- 7 मुख्य दुर्घटनाओं की सम्भावना से सम्बन्धित सूचना, अर्थात् :-
 - (क) मुख्य दुर्घटना के खतरे की पहचान।
 - (ख) उन घटनाओं की स्थिति, जो दुर्घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हो सकती है।
 - (ग) किये गये उपायों का संक्षिप्त विवरण।
- 8 स्थल से सम्बन्धित सूचना, अर्थात् :-
 - (क) उस स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों का नक्शा, जिससे वह लक्ष्य स्पष्ट होता हो, जो स्थल से सम्बद्ध जोखिम या खतरे के निर्धारण में महत्वपूर्ण है;
 - (i) मुख्य दुर्घटना द्वारा प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्र
 - (ii) अड़ोस-पड़ोस में जनसंख्या का बंटवारा
 - (ख) खतरनाक रसायनों की सभी महत्वपूर्ण सूचियों की अवस्थिति मात्रा को दर्शाते हुए स्थल का पैमाना नक्शा।
 - (ग) खतरनाक रसायनों वाली प्रक्रिया या भण्डारण का विवरण दी गई प्रक्रिया या भण्डारण में ऐसे खचातरनाक रसायन की अधिकतम मात्रा तथा उन परिस्थितियों का संकेत, जिनके अधीन सामान्यता से रखा जाता है;
 - (घ) स्थल पर उपस्थित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या।
- 9 कामगारों के प्रशिक्षण और ऐसे कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था।

अनुसूची 8

{देखिए नियम 10 (1)}

सुरक्षा रिपोर्ट में भेजी जाने वाली सूचना

- 1 सूचना भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पता,
- 2 औद्योगिक गतिविधि का विवरण, अर्थात् :-
 - (क) स्थल;
 - (ख) निर्माण डिजाइन;
 - (ग) बचाव जोन (विस्फोट बचाव, पृथक्करण दूरी);
 - (घ) संयन्त्र की प्रवेशयोग्यता; तथा
 - (ङ) स्थल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और विशेषता उन व्यक्तियों की संख्या, जो खतरे के आसपास रहते हैं।
- 3 प्रक्रिया के विवरण, अर्थात्:-
 - (क) औद्योगिक गतिविधि का तकनीकी उद्देश्य;
 - (ख) प्रौद्योगिक प्रक्रिया का बुनियादी सिद्धांत;
 - (ग) व्यक्तिगत प्रक्रिया स्तर के लिए प्रक्रियागत तथा सुरक्षा से संबंधित आंकड़े;
 - (घ) प्रक्रिया विवरण; तथा
 - (ङ.) उपयोगिता की सुरक्षा से सम्बन्धित किस्म।
- 4 खतरनाक रसायनों का विवरण, अर्थात् :-
 - (क) रसायन (मात्रा, भौतिक और रसायन सम्पत्तियों के वास्तविक आंकड़े; विस्फोटक सीमाओं, ज्वलनांक, थर्मल स्थिरता के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी आंकड़े, विषाक्तता आंकड़े तथा न्यूनतम सीमा मूल्य, प्राण घातक सान्द्रता)
 - (ख) रसायनों का वह रूप या साधारण परिस्थितियों की घटना में दुर्घटना बदल सकती है; तथा
 - (ग) खतरनाक रसायन की शुद्धता की डिग्री।
- 5 प्रारम्भिक जोखिम विश्लेषण पर सूचना अर्थात्:-
 - (क) दुर्घटना की किस्म;
 - (ख) प्रणाली अवयव या प्रत्याशित घटनाएं, जो मुख्य दुर्घटना का कारण बन सकती हैं;
 - (ग) जोखिम; तथा
 - (घ) सुरक्षा सम्बन्धित घटक अवयव।

- 6 सुरक्षा सम्बन्धित इकाइयों का विवरण, दसरे के बीच;
- (क) विशेष डिजाइन मानदण्ड;
- (ख) नियन्त्रण और खतरे की घण्टी;
- (ग) दबाव राहत प्रणाली;
- (घ) त्वरित प्रक्रिया वाल्व;
- (ङ.) संग्रहण की टंकी/संग्रहणालय ;
- (च) छिड़काव प्रणाली; तथा
- (छ) अग्नि सुरक्षा।
- 7 जोखिम निर्धारण पर सूचना, अर्थात्,—
- (क) जोखिम पदार्थों की पहचान;
- (ख) मुख्य दुर्घटनाओं के कारण;
- (ग) घटना की बराबरता के अनुसार जोखिम निर्धारण;
- (घ) दुर्घटना परिणामों का निर्धारण;
- (ङ) सुरक्षा प्रणाली; तथा
- (च) ज्ञात दुर्घटना का इतिहास।
- 8 औद्योगिक गतिविधि चलाने के लिए सुरक्षा में उपयोग की गई संगठनात्मक प्रणाली का विवरण, अर्थात्,—
- (क) अनुरक्षण तथा निरीक्षण अनुसूचियां;
- (ख) कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश;
- (ग) संयन्त्र सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व का आबंटन तथा प्रत्यायोजन; तथा
- (घ) सुरक्षा प्रक्रिया का कार्यान्वयन।
- 9 मुख्य दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप निर्धारण की सूचना अर्थात् :-
- (क) खरतनाक रसायन अथवा उर्जा के सम्भावित निर्मोचन का निर्धारण;
- (ख) नियुक्त रसायनों का सम्भावित विसर्जन; तथा
- (ग) निर्मोचनों के प्रभावों का निर्धारण (प्रभावित क्षेत्र का आकार, स्वास्थ्य प्रभाव, सम्पतियों की हानि)।
- 10 मुख्य दुर्घटनाओं को कम करने की सूचना अर्थात् :-
- (क) दमकल;
- (ख) अलार्म प्रणाली;
- (ग) आपातकालीन योजना जिसमें आपातकाल से निपटने के प्रयोग में लाये जाने वाली संगठनात्मक प्रणाली है खतरे की घण्टी तथा संचार मार्ग;

- (घ) जिला कलेक्टर अथवा जिला आपातकालीन प्राधिकरण तथा उसके गैर स्थलीय आपातकालीन योजना से तालमेल;
- (ङ) दुर्घटना की घटना में जोखिम की प्रकृति तथा आधार की अधिसूचना; तथा
- (च) खतरनाक भरे रसायन के निर्मोचन की घटना में विषहर।

अनुसूची 9

{देखिए नियम 13 (1)}

स्थलीय आपातकालीन योजना में दिये जाने वाले ब्यौरे

- 1 सूचना भेजने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता
- 2 संगठन के मूल कार्मिक तथा आपातकाल की दशा में उनको सौंपा गया उत्तरदायित्व।
- 3 संगठन के बाहर व्यक्ति यदि वह स्थल पर आपातकाल में सहायता देने के दौरान में संलिप्त था
 - (क) दुर्घटनाओं की किस्म।
 - (ख) सौंपा गया उत्तरदायित्व।
- 4 संगठनों के बीच सम्पर्क व्यवस्था का ब्यौरा।
- 5 प्रारम्भिक जोखिम विश्लेषण की सूचना।
 - (क) दुर्घटना की किस्म।
 - (ख) प्रणाली अवयव अथवा घटनायें जो मुख्य दुर्घटना का कारण हो सकती हैं।
 - (ग) जोखिम।
 - (घ) सुरक्षा सम्बन्धी उपयुक्त घटक।
- 6 स्थल के सम्बन्ध में ब्यौरे
 - (क) खतरनाक द्रव्य की अवस्थिति
 - (ख) मूल कार्मिक के बैठने के स्थल
 - (ग) आपातकाल नियन्त्रण कक्ष।
- 7 संयन्त्र स्थल पर खतरनाक रसायन का वर्णन
 - (क) रसायन (मात्रा तथा विष सम्बन्धी आंकड़े)
 - (ख) परिवर्तन, यदि कोई है, जो हो सकता था।
 - (ग) खतरनाक रसायनों की शुद्धता।
- 8 संयन्त्र के लिए सम्भावित खतरे
- 9 निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रभावों की गणना
 - (i) सामान्य कार्य के दौरान होने वाला दबाव और खिंचाव;
 - (ii) संयन्त्र के अन्दर आग तथा विस्फोट और बाहरी आग तथा विस्फोट का प्रभाव यदि कोई है:—

निम्नलिखित के सम्बन्ध में ब्यौरे

- (i) चेतावनी, अलार्म और सुरखा तथा सुरक्षा प्रणाली;
 - (ii) अलार्म और खतरा नियन्त्रण योजना तथा घोर दुर्घटना नियन्त्रण और खतरा नियन्त्रण योजना बनाना आवश्यक तकनीकी संगठानात्मक पूर्वापाय सुनिश्चित करना;
 - (iii) विश्वसनीय माप उपकरण, नियन्त्रण ईकाई तथा ऐसे उपकरणों की सर्विस;
 - (iv) भवन की नींव और भार सहने वाले भागों की डिजाइनिंग में पूर्वापाय;
 - (v) कार्य की निरन्तर निगरानी;
 - (vi) अच्छी इंजीनियरी प्रक्रिया के सामान्यतः मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार कार्य का अनुरक्षण तथा मरम्मत।
- 11 आपातकाल के दौरान उपलब्ध तथा गैरस्थलीय आपातकाल के लिए अपेक्षित उन संचार सुविधाओं का ब्यौरा।
 - 12 उपलब्ध अग्नि शमन और अन्य सुविधाओं तथा गैर स्थलीय आपातकाल के लिए भी अपेक्षित उन संचार सुविधाओं के ब्यौरे।
 - 13 उपलब्ध प्राथमिक सहायता और अस्पताल सेवाओं के ब्यौरे और उसकी पर्याप्तता।

राज कुमार
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 11/35/2004- 4श्रम.

दिनांक 24.08.2009

एक प्रति नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेज कर अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के (असाधारण) राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी 250 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजी जायें।
2. इस अधिसूचना का प्रारूप विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग से उनके अशा: क्रमांक 587.लैज.॥ (21)वी/2009/273, दिनांक 25.02.2009 द्वारा वेट करवा लिया गया है।

- sd -


अधीक्षक, श्रम

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 11/35/2004- 4श्रम.

दिनांक 24.08.2009

इसकी एक प्रति श्रम आयुक्त-मय-मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।


अधीक्षक, श्रम

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।